ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/736-37Bhopal, Date:13-08-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of July'2018

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of July'2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

July'2018

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./37 22.02.2018	श्रीमति राजल बाई, तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़।	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) संभाग म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. नरसिंहगढ़।	04.07.2018
2	बी.टी./01 04.04.2018	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, निवासी लोहा बाजार, विदिशा।	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) संभाग म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. विदिशा।	05.07.2018
3	बी.टी./03 20.04.2018	श्री अनिल कुमार, भीम नगर, सतपुड़ा भवन के पास, भोपाल।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	09.07.2018
4	बी.टी/41 20.03.2018	मेसर्स गिरिजा कॉलोनाईजर्स एवं डेवलपर्स, एम.पी. नगर, भोपाल।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पश्चिम) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	16.07.2018
5	जी. टी/9516. 01.2018	श्री जय श्री प्रकाश शर्मा रॉक्सी टॉकिज के समाने, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	16.07.2018
6	जी.टी/132 28.03.2018	श्री विष्णुदत्त शर्मा, कुम्हारपुरा मुरार, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	16.07.2018
7	जी. टी/13328. 03.2018	श्री सुरेन्द्र चंद्र नामदेव, माता वाली गली, मुरार, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	16.07.2018
8	जी. टी/13628. 03.2018	श्री मदनलाल पुत्र श्री बिहारी, दर्पण कॉलोनी,ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	17.07.2018
9	जी. टी/13728. 03.2018	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मूंगाराम पिण्टो पार्क, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	17.07.2018
10	जी. टी/13828. 03.2018	श्रीमति कमला देवी, पति हरिशचंद्र जादौन, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	17.07.2018
11	जी.टी/139 28.03.2018	श्रीमति रूबी दण्डोतिया, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	18.07.2018
12	जी.	मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीजप्रोप.	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) संभाग म.प्र.	18.07.2018

	टी / 14328. 03.2018	रतन कॉलोनी, ग्वालियर।	म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	
13	जी. टी / 14628. 03.2018	श्री संतोष प्रजापति, पानपत्ते की गोठ, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	18.07.2018
14	जी. टी / 0919. 04.2018	श्री संजय सिंह सिकरवार, डी.डी. नगर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	19.07.2018
15	जी. टी / 1019. 04.2018	श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, दीनदयाल नगर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	19.07.2018
16	जी. टी / 1219. 04.2018	श्रीमति बानो, बेगम थाटीपुर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	19.07.2018
17	जी. टी / 1319. 04.2018	श्री शशि कांत मिश्रा, तिलक नगर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	23.07.2018
18	जी. टी / 3712. 06.2018	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कोक सिंह जिला दतिया।	उपमहाप्रबंधक (सं / सं.) संभाग म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. दतिया।	23.07.2018

Encl: (18) Orders A/a.

CHAIRPERSON

ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 09/2018

19.04.2018

श्रीसंजय सिंह सिकरवार पुत्र श्री पूरनसिंह
रणधीर कॉलोनी, डीडी नगर,
ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक 19.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/09दिनॉक 19.04.18 को पंजीकृत कर दिनांक11.05.2018, 07.06.18एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**यह किप्रार्थी संजय सिंह सिकरवार, रणधीर कॉलोनी में नया कनेक्शन बिल क्रमांक 745951927544 की रीडिंग दिनांक 30.11.2017 तक 531 खपत हुई हैं। श्रीमान जी आपके रीडिंग कर्मचारी ने रीडिंग खपत 650 का बिल दिया हैं। अतः 119 रीडिंग अधिक एवं भविष्य की ओर रीडिंग बढ़ेगी। 250 रीडिंग, कुल बिल रीडिंग 119 + 250 = 361 रीडिंग का बिल अधिक आया हैं। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आंकलित खपत से रीडिंग का बिल नहीं आना चाहिये। श्रीमान से निवेदन हैं कि मेरे बिल का संशोधन करने का कष्ट करें एवं रीडिंग चैक करवाने का कष्ट करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण हेतु 28.05.2018 को किये जाने पर चैक रीडिंग 1354 पाई गई। प्रकरण के निराकरण हेतु उपभोक्ता की आई नियमित रीडिंग को एकजाई कर कुल खपत 1354 यूनिट माह 09/17 से 06/18 तक 10 माहों में बराबर बराबर विभाजित कर एवं लगी आंकलित खपत को हटाया जाकर रूपये 10278/- का क्रेडिट दिया जाकर देयक को सुधार दिया गया हैं । इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का पूर्णरूपेण निराकरण किया जा चुका हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आवेदक श्री संजय सिंह सिकरवार/स्व.श्री पूरनसिंह सिकरवार के नाम से रणधीर कॉलोनी, भिण्ड रोड, ग्वालियर में नया एकल फेस गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–46–11– 7459570976, संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट लिया गया था। जिस पर स्थापित विद्युत मीटर चालू हैं। मीटर चालू होने के बावजूद मीटर रीडिंग अनुसार विद्युत खपत के साथ साथ आवेदक को आंकलित विद्युत खपत लगाकर विद्युत देयक दिये जा रहे थें, जिससे असहमत होकर आवेदक द्वारा यह प्रकरण फोरम के समक्ष दर्ज कराया गया हैं। आवेदक ने माह सितम्बर 2017 से जून 2018 तक एक भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया हैं एवं न ही आवेदक एक भी सुनवाई दिनांक को फोरम के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ हैं।

अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के निराकरण हेतु दिनांक 28.05.2018 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें मीटर में दर्ज रीडिंग 1354 पाई गई। आवेदक की अनिश्चित रीडिंग को एकजाई कर वास्तविक विद्युत खपत माह सितम्बर 2017 एवं जून 2018 तक 10 माह में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 1354 यूनिट को बराबर 10 माह में विभाजित कर उक्त अवधि में आवेदक के विद्युत बिलों में लगी आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज 10 माह की इकठ्ठी खपत प्रतिमाह औसत 135.4 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 10,278/– की क्रेडिट/समायोजन माह जून 2018 में अनावेदक द्वारा कर दिया जाना स्वीकार किया गया है। अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही नियमों के अनुसार एवं न्यायसंगत पाई गई। आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ीवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री संजय सिंह सिकरवार पुत्र श्री पूरनसिंह
रणधीर कॉलोनी, डीडी नगर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 19/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–09/2018) दिनांक19.04.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 19/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–09/2018 दिनांक 19.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 95/2018

16.01.2018

श्रीजय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री गयाप्रसाद शर्मा,
महाराजा होटल, रॉक्सी टॉकीज के सामने, **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 16.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/95दिनॉक 16.01.18 को पंजीकृत कर दिनांक 09.02.18, 22.03.18, 12.04.18, 10.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**यह कि प्रार्थी के होटल, स्थित रॉक्सी टॉकीज के पास, उक्त कनेक्शन (9689562000) लगा हुआ हैं, जिसके बिल प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से जमा किये जाते रहे हैं। प्रार्थी को महोदय द्वारा अक्टूबर 2016 का बिल 85,822/- रूपये का दिया गया था, जिसके एवज में प्रार्थी द्वारा 35,800/- रूपये नगद तथा एक 50,000/- रूपये का चैक जोन पर जमा कराया था। प्रार्थी द्वारा दिया चैक किसी टेक्नीकल फॉल्ट के कारण बाउंस हो गया, जिस कारण प्रार्थी ने आगामी माह नवम्बर 2016 के बिल की राशि 30,230/- रूपये के साथ उक्त अनादत हुए चैक की राशि 50,000/- रूपये जोड़कर दिनांक 11.11.2016 को 65,000/- रूपये नगद जोन पर जमा किये थें, उस समय प्रार्थी का बिल निल हो गया था।

महोदय द्वारा प्रार्थी को माह दिसम्बर 2016 का बिल बकाया राशि 54,557/- रूपये दर्शाते हुए जारी किया गया, जबकि प्रार्थी द्वारा माह नवम्बर 2016 के बिल की राशि नगद जमा करा दी गई थी तथा उसके पश्चात प्रार्थी की माह नवम्बर 2016

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

तक कोई राशि बकाया नहीं थीं। उसके बाद महोदय द्वारा माह जनवरी 2017 में भी पूर्व की बकाया राशि को जोडकर बिल दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा महोदय से किये जाने पर महोदय द्वारा माह फरवरी 2017 के बिल में उक्त जमा समस्त राशि को समायोजित कर 19,370/– रूपये का फाईनल बिल दिया, जिसके एवज में प्रार्थी द्वारा 25,000/– रूपये नगद जमा कराये गये। उक्त राशि जमा करने के पश्चात महोदय द्वारा पुनः मार्च 2017 में प्रार्थी को बकाया राशि जोड़कर बिल जारी किया, जबकि प्रार्थी पर पर्वू की कोई राशि बकाया नहीं है।

अतः महोदय से निवेदन हैं कि प्रार्थी के माह मार्च 2017 के बिल को सुधार कर पिछली बकाया राशि एवं अधिभार हटाकर संशोधित बिल प्रदान करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में दिनांक 22.03.2018 को लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री जयप्रकाश शर्मा सर्विस नंबर 9689562000 उपभोक्ता फोरम के शिकायत की थीं, उसके आधार पर उपभोक्ता के बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि :–

1. उपभोक्ता का दिसम्बर 2016 माह का बिल राशि 2,19,620/– रूपये था।
2. माह अक्टूबर 2016 में रूपये 2,05,387/– का था, उपभोक्ता द्वारा 31.08.2016 को 50,000/– रूपये जमा किये, 2,05387 – 50,000 = 1,69,620 रूपय बचे। इसमें अक्टूबर 2016 का बिल 33,022 + 1,69,220 = 2,02,642 इसमें बकाया राशि पर सरचार्ज 2,02,642 + 2,745 = 2,05,387 कर बिल बना।
3. माह नवम्बर 2016 का बिल 1,39,817 बना, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किये गये 2,05,387 – 60,000 – 35,800 = 1,09,587 बचे, नवम्बर 2016 का बिल 30,230 + 1,09,587 = 1,39,817 बचे।
4. माह दिसम्बर 2016 में 82,101 रूपये बचा जमा किये। 1,39,817 – 85,000 = 54,812 दि. 2016 का बिल 26,530 + 54,817= 82,101/–

अतः उपभोक्ता के बिल में कोई सुधार नहीं किया जाना हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री जयप्रकश शर्मा/स्व. श्री गयाप्रसाद शर्मा के नाम से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 305–44–92–9689562000 संयोजित विद्युत भार 20 किलोवॉट महाराजा होटल, रॉक्सी टॉकीज के सामने, ग्वालियर में स्थित हैं। आवेदक ने माह अक्टूबर 2016 का विद्युत बिल रूपये 85,822/– जिसके भुगतान बाबत् रूपये 35000/– नगद एवं रूपये 50,000/– का चैक अनावेदक के जोन कार्यालय में जमा किया गया था, जिसमें से रूपये 50,000/– का चैक टेक्नीकल फॉल्ट के कारण बाउंस हो गया था, जिस कारण आवेदक ने माह नवम्बर 2016 के विद्युत बिल राशि रूपये 30,230/– के साथ चैक बाउंस राशि रूपये 50,000/– कुल राशि रूपये

85,000/– नगद दिनांक 11.11.2016 को अनावेदक के जोन कार्यालय में जमा किये थें। इस प्रकार आवेदक ने यह मान लिया कि दिनांक 11.11.2016 के बाद उस पर कोई बकाया राशि नहीं हैं और दिसम्बर 2016 का विद्युत बिल पुरानी बकाया राशि रूपये 54,557/– दर्शाते हुए रूपये 1087/– का विद्युत देयक अनावेदक ने उसे जारी किया गया, जबकि उसके द्वारा नवम्बर 2016 तक के विद्युत बिलों का पूर्ण भुगतान वह कर चुका है। फिर दिसम्बर 2016 में उसे बकाया राशि रूपये 54,557/– लगाकर दिया गया, जिससे असहमत होकर तथा उसके बाद माह जनवरी 2017 का जो विद्युत बिल राशि रूपये 85,935/– में बकाया राशि 56,012/– दर्शाते हुए दिया गया, जिससे असहमत होते हुए यह फोरम में प्रकरण दर्ज कर बिलों में संशोधन करने का निवेदन किया गया हैं।

1. आवेदक को माह सितम्बर 2016 का विद्युत देयक रूपये 2,19,620/– का जारी किया गया था। जिसका भुगतान रूपये 50,000/– दिनांक 31.08.2016 को आवेदक ने किया। सितम्बर 2016 के विद्युत बिल की शेष बकाया राशि रूपये 1,69,620/– एवं सरचार्ज रूपये 2745/– कुल 1,72,365/– रूपये के साथ माह अक्टूबर 2016 की विद्युत खपत का विद्युत बिल रूपये 33,022/– जोड़ कर माह अक्टूबर 2016 का विद्युत देयक रूपये 2,05,387/– का था, न कि रूपये 85,822/– का।
2. आवेदक ने दिनांक 18.10.2016 को रूपये 35,800/– एवं दिनांक 27.09.2016 को रूपये 60,000/– का भुगतान किया गया। अतः माह अक्टूबर 2016 के विद्युत देयक राशि रूपये 2,05,387/– के विरूद्ध आवेदक ने रूपये 95,800/– का भुगतान किया गया। शेष बकाया राशि रूपये 1,09,587/– हैं। अतः माह नवम्बर 2016 की विद्युत खपत का विद्युत देयक राशि रूपये 30.230/– एवं माह अक्टूबर 2016 के विद्युत बिल की बकाया राशि रूपये 1,09,587/– अतः नवम्बर 2016 का कुल विद्युत देयक 1,39,817/– हुआ हैं।
3. माह नवम्बर 2016 के विद्युत देयक राशि रूपये 1,39,817/– के विरूद्ध आवेदक ने दिनांक 11 नवम्बर 2016 को रूपये 85,000/– का भुगतान किया गया। अतः माह नवम्बर 2016 के बिल की बकाया राशि रूपये 54,817/– हैं। अतः माह दिसम्बर 2016 का विद्युत बिल दिसम्बर 2016 की विद्युत खपत का बिल राशि रूपये 36,530/– एवं नवम्बर 2016 के बिल की बकाया राशि रूपये 54,817/– एवं सरचार्ज रूपये 754/– कुल दिसम्बर 2016 का विद्युत देयक राशि रूपये 82,101/– हुआ हैं।
4. माह दिसम्बर 2016 के विद्युत बिल राशि रूपये 82,101/– के विरूद्ध दिनांक 25.12.2016 को रूपये 26,000/– का भुगतान किया गया एवं शेष राशि बकाया रूपये 56,101/– बची हैं। अतः माह जनवरी 2017 की विद्युत खपत का विद्युत देयक राशि रूपये 28,773/– एवं दिसम्बर 2016 की बकाया राशि रूपये 56,101/– मिलाकर रूपये 84,874/– का हुआ हैं।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

आवेदक द्वारा माह जनवरी 2017 के विद्युत देयक का भुगतान रूपये 84,874/– दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को किया गया। यह भुगतान केंसिल हो जाने के कारण फरवरी 2017 के विद्युत देयक में जनवरी 2017 के बिल की बकाया राशि रूपये 84,874/– जोड़कर कुल आनी चाहिये, जो कि नहीं आई तथा माह फरवरी 2017 के बिल का भुगतान भी नहीं हुआ। अतः यह बकाया राशि माह मार्च 2017 के विद्युत देयक में जुड़कर रूपये 1,04486/– + माह मार्च 2017 की विद्युत खपत के देयक की राशि रूपये 21,511/– मिलाकर कुल रूपये 1,25,997/– का दिया गया हैं, जिसका भुगतान भी केंसिल हो गया है।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा चैक से किये गये भुगतान कई बार चैक टेक्नीकली गलत होने तथा केंसिंल होने के कारण भी आवेदक पर प्रतिमाह बकाया राशि अगले माहों में जुड़ कर आई हैं तथा अधिकतर आवेदक ने अपने विद्युत देयकों का पार्ट पेमेण्ट ही किया गया हैं।

विवेचना में यह पाया गया कि माह अक्टूबर 2016 में आवेदक को जो विद्युत देयक दिया गया था, वह रूपये 85,822/– का था, सही नहीं पाया गया। माह अक्टूबर 2016 का विद्युत देयक सितम्बर 2016 के विद्युत देयक की बकाया राशि रूपये 1,72,365/– + अक्टूबर 2016 के विद्युत देयक की राशि रूपये 33,022/– को मिलाकर कुल रूपये 2,05,387/– का था। अतः आवेदक का यह कहना कि उसने माह अक्टूबर 2016 के विद्युत देयक का पूर्ण भुगतान कर बकाया शून्य कर दिया गया हैं, सही नहीं पाया गया। इसी प्रकार माह जनवरी 2017 के विद्युत देयक की कुल राशि रूपये 84,874/– का भुगतान 31 दिसम्बर 2016 को कर दिया गया था तथा बकाया राशि शून्य हो गई । यह जमा राशि रूपये 84,874/– भी केंसिल हो गई हैं, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से होती हैं। अतः माह जनवरी 2017 एंव फरवरी 2017 के दो माह के देयक की बकाया राशि रूपये 1,04,486/– माह मार्च 2017 के देयक के साथ जोड़कर कुल राशि रूपये 1,25,997/– का विद्युत देयक आवेदक को दिया गया।

अतः आवेदक को जारी माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक के समस्त विद्युत देयक सही हैं तथा आवेदक द्वारा किये गये भुगतान का समायोजन भी अनावेदक द्वारा नियमानुसार किया गया हैं।

अतः आवेदक की शिकायत सही नहीं पाये जाने पर निरस्त की जाती हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ीवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री गयाप्रसाद शर्मा,
महाराजा होटल, रॉक्सी टॉकीज के सामने,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–95/2018) दिनांक16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–95/2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 132/2018

28.03.2018

श्रीविष्णुदत्त शर्मा
गांधी रोड, नदीपार, कुम्हारपुरा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक 16.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/132दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 10.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**यह किप्रतिवेदक दीनानाथ की बगीची, गांधी रोड, नदी रपट, कुम्हापुरा, मुरार जिला ग्वालियर में स्थायी तौर पर अपने परिवार साथ स्थायी तौर पर निवास करता हैं। उसके द्वारा उक्त पते पर विद्युत उपभोक्ता मीटर का कनेक्शन प्राप्त किया गया था। विद्युत बिलों में उपभोक्ता का गलत पता लिखा गया था, जिससे कोई बिल उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हुए थें। प्रार्थी ने बिजली के बिल निकाल कर देखा तो उसमें गांधी रोड, नदी पार टाल लिखा पाया गया। जिसका पता सुधारने के लिये प्रार्थी द्वारा कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिसकी वजह से बिल का भुगतान नहीं कर पायें। यह विद्युत विभाग की गलती हैं।

   अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि विद्युत मीटर न होने से भारी नुकसान हो रहा हैं, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं हैं, जिस हेतु विद्युत मीटर शीघ्र लगाये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

उपभोक्ता श्री विष्णुदत्त शर्मा गांधी रोड के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 6487592000 में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई हैं कि वह दीनानाथ की बगिया, गांधी रोड, रपट कुम्हारपुरा मुरार का मूलवासी है। सन 2012 में विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी का स्थान बदल कर बिल भेजा गया हैं। आज तक सही स्थान का उल्लेख नहीं किया जा रहा हैं। बिल में गांधी रोड, नदी पार, टाल मुरार लिखा गया हैं। अतः सही कराने की कृपा करें।

प्रकरण में निराकरण हेतु दिनांक 08.05.2018 को आपके दिये गये निर्देश के तहत दिनांक 12.04.2018 के तारतम्य में थाटीपुर जोन के उप प्रबंधक द्वारा उपभोक्ता का परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसके तहत चैक रीडिंग 197 मीटर नंबर 2944421 एच.पी.एल. 5.30 एम्पियर पाया गया एवं भार 820 वॉट पाया गया। चैक रिपोर्ट पर उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। चैक रिपोर्ट के अनुसार निवास स्थान का पता दीनानाथ की बगीची, गांधी रोड, रपट, कुम्हारपुरा अंकित है। उपभोक्ता का मीटर मार्च 2017 में एफ.आर. 9820 रीडिंग पर निकाला गया था एवं नया मीटर 21.04.2018 को एस.आर. 00 पर लगाया गया था। उपभोक्ता द्वारा बिलों का भुगतान न करने पर बकाया राशि पर काटा गया था। तत्पश्चात रूपये 10,000/– दिनांक 24.03.2018 को जमा करने पर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई थीं। उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल का समय पर भुगतान नहीं किया जाता हैं, जिसके कारण उपभोक्ता का कनेक्शन काटा जाता रहा हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री विष्णुकुमार शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424903–64–32–6847592000 संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट, दीनानाथ की बगीची, गांधी रोड, थाटीपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश पिन 474011 पर स्थापित हैं। अतः आवेदक के विद्युत संयोजन का यह पता गलत अंकित होने के कारण आवेदक को विद्युत बिल प्राप्त नहीं होना एवं जिसके कारण आवेदक द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर पाना तथा आवेदक के विद्युत संयोजन को अनावेदक द्वारा विद्युत बिलों की बकाया राशि होने पर माह मार्च 2017 में विद्युत मीटर अंतिम वाचन 9820 पर निकाले जाने से व्यथित होकर फोरम के समक्ष यह प्रकरण दर्ज कर निवेदन किया गया हैं कि उसके विद्युत बिलों में गलत पता अंकित होने से उसे विद्युत बिल प्राप्त न होने से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर पाया तथा मेरे विद्युत संयोजन का विद्युत मीटर निकाल कर संयोजन विच्छेदित कर दिया गया हैं। अतः मेरे विद्युत बिलों में राहत देते हुए तथा मेरे विद्युत संयोजन का मीटर स्थापित करवाने एवं मेरे घर का पता सही करने का निवेदन हैं ताकि मुझे विद्युत देयक सही समय पर प्राप्त हो सकें और मैं उनका भुगतान कर सकूँ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत परिसर का पता सही न होने के कारण आवेदक को विद्युत देयक प्राप्त नहीं हो रहे थें, जिसके कारण आवेदक ने माह अप्रैल 2012 से माह मार्च 2017 तक के विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया था। अनावेदक द्वारा दिनांक 08.05.2018 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें आवेदक के परिसर का सही पता श्री विष्णुकुमार, दीनानाथ की बगीची, गांधी रोड, नया रपट, कुम्हारपुरा, थाटीपुर ग्वालियर पाया गया, जिसे आवेदक के विद्युत देयकों में सुधार कर दिया गया हैं। जिसकी पुष्टि आवेदक को माह मई 18 में जारी विद्युत देयक से भी होती हैं।

आवेदक का विद्युत मीटर, विद्युत बिलों की बकाया राशि होने के कारण माह फरवरी 2017 में निकाल लिया गया था, तत्पश्चात आवेदक द्वारा माह मार्च 2017 में विद्युत बिलों की बकाया राशि रूपये 10,000/– भुगतान कर बिना मीटर के विद्युत प्रदाय चालू करा लिया था। अतः माह मार्च 17 से माह अप्रैल 18 तक आवेदक को आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये जाते रहें, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा आंशिक रूप से माह अप्रैल 17, मई 17, जुलाई 17 एवं मार्च 18 में किया गया। उक्त अवधि में आवेदक को जारी विद्युत देयकों में लगायी गई आंकलित खपत, पूर्व के माहों में मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही लगायी गयी हैं। आवेदक का नया विद्युत मीटर दिनांक 12.04.2018 को मीटर क्रमांक 2944421, मेक एच.पी.एल., आरंभिक रीडिंग 000 पर स्थापित किया गया हैं। आवेदक द्वारा नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध जो बकाया राशि हैं, उसमें किसी प्रकार की राहत दिया जाना संभव नहीं हैं। यदि आवेदक चाहे तो वर्तमान में शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के विद्युत बिलों में दी जाने वाली राहत योजना ''सबल योजना'' के तहत अनावेदक कंपनी में आवेदन करने एवं पात्र पाये जाने पर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन आवेदक एवं फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ीवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री विष्णुदत्त शर्मा
गांधी रोड, नदीपार, कुम्हारपुरा, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–132/2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–132/2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 133/2018

28.03.2018

श्रीसुरेश चन्द्र नामदेव, सिंहपुर रोड
देसाई नगर, मातावाली गली, मुरार, **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 16.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/133दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 10.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**–यह किप्रार्थी 03.04.2016 को भी आवेदन दे चुका हैं, जिसकी बिजली घर द्वारा कोई पत्र की पावती नहीं दी जाती हैं। मैने मीटर खराब का आवेदन दिया कि मीटर अधिक तेज रफ्तार से चल रहा हैं तो मीटर जॉच के लिये निकाल कर ले गये और दूसरा मीटर लगा गये, लेकिन आज दिनांक 22.03.2018 तक मीटर जॉच की कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई हैं। इस कारण से मैं बिल नहीं भर पा रहा हूॅ। मेरा बिल हर महीने बढ़ता चला जा रहा हैं। आज दिनांक 22.03.2018 को बिल 43319/– रूपये आया हैं। श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मेरा बिल कम कराने का कष्ट करें, तो श्रीमान जी मैं बिल भर सकूॅगा क्योंकि मेरी पत्नी ब्लड केंसर से पीडिंत हैं। ये इकठ्ठा बिल भरने में असमर्थ हूॅ। मेरे साथ न्याय किया जायें।

5. **अनावेदक का कथन :**–अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि आवेदक, विद्युत सर्विस क्रमांक 51–4–5155992000 के मीटर को दिनांक 13.11.2017 को एल.टी.एम.टी. लेब में परीक्षण किया जा चुका हैं। एल.टी.एम.टी. लेब में परीक्षण के दौरान मीटर (OK) सही पाया गया। लेब परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति इस पत्र के साथ

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित हैं। शिकायतकर्ता को कभी भी आंकलित खपत का बिल जारी नहीं किया गया। शिकायतकर्ता को हमेशा मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। आज दिनांक 05.06.2018 को शिकायतकर्ता के परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसकी चैक रिपोर्ट सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न हैं। आज दिनांक 05.06.2018 तक शिकायतकर्ता के विद्युत बिल की बकाया राशि 56,941/– रूपये शेष है। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि का भुगतान किया जाना शेष है। उक्त प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम/उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आवेदक श्री सुरेश चन्द्र नामदेव, सिंहपुर रोड, देसाई नगर, मातावाली गली, मुरार, ग्वालियर में स्थापित हैं, का मीटर खराब होने एवं तेज चलने का एक आवेदन, अनावेदक कंपनी को दिनांक 03.04.2016 को दिया गया था। जिसके तारतम्य में सितम्बर 2017 में आवेदक के परिसर का मीटर परीक्षण हेतु निकाला गया। उक्त मीटर की परीक्षण रिपोर्ट आवेदक को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं एवं न ही उन्हें कोई सूचना दी गई हैं। आवेदक ने मीटर परीक्षण हेतु परीक्षण शुल्क रूपये 50/– दिनांक 01.09.2017 को जमा किये थें। आवेदक द्वारा माह अगस्त 2017 में विद्युत बिलों की बकाया राशि का आंशिक भुगतान रूपये 50,000/– किया गया था। अनावेदक द्वारा आवेदक को माह अगस्त 17 में 2252 यूनिट का राशि रूपये 23192/– का बिल दिया गया था, जिसमें संशोधन करने हेतु अनावेदक कंपनी के अधिकारियों से निवेदन किया गया था, किन्तु उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। उसके बाद से ही आवेदक द्वारा विद्युत देयकों की राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं।

आवेदक द्वारा वर्ष 2017 में गर्मी के सीजन में गन्ने की चक्की हेतु एक अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसके लिये उसके द्वारा रूपये 10,000/– रसीद क्रमांक 2979588, दिनांक 04.04.2017 को जमा किये गये थें। अस्थायी कनेक्शन की अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा अनावेदक कंपनी से शेष बची राशि का भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिस पर अनावेदक कंपनी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अस्थायी कनेक्शन की शेष राशि का उनके घरेलू विद्युत संयोजन के विद्युत देयकों की राशि में समायोजन कर दिया जायेगा किन्तु, अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक अस्थायी कनेक्शन की शेष बकाया राशि का समायोजन भी उनके विद्युत देयकों में नहीं किया गया हैं। अतः फोरम से निवेदन है कि मेरे को जारी अधिक खपत के विद्युत बिलों में संशोधन करने एवं अस्थायी कनेक्शन की शेष राशि का समायोजन मेरे घरेलू विद्युत संयोजनों में कराने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अनावेदक द्वारा आवेदक का विद्युत मीटर नवम्बर 2017 में अंतिम रीडिंग 28986

पर निकाल कर नया मीटर क्रमांक 03–00078505 लगाया गया था, पुराने मीटर का परीक्षणदिनांक 29.09.2017 को क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर में परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मीटर डॉयल टेस्ट में मीटर सही पाया गया तथा आवेदक को हमेशा मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही विद्युत देयक जारी किये गये हैं। इसलिये आवेदक को उसकी विद्युत खपत में कोई राहत दिया जाना संभव नहीं है।

फोरम का निर्णयः– उपरोक्त विवेचना उपरांत फोरम इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि आवेदक के परिसर में स्थापित पुराने मीटर में दर्ज खपत एवं नये मीटर में दर्ज खपत का पैटर्न लगभग एक समान ही हैं। इसलिये आवेदक को उसकी विद्युत खपत में कोई राहत दिया जाना उचित नहीं हैं।

जहॉ तक आवेदक को उसके अस्थायी कनेक्शन की अवधि समाप्त होने पर उसकी राशि लौटाई जाने का प्रश्न हैं, तो आवेदक को सलाह दी जाती हैं कि वह जिस कार्यालय से उनके द्वारा अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा राशि जमा कराई गई थीं, उस कार्यालय में अस्थायी कनेक्शन की रसीद की छायाप्रति सहित एक आवेदन संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि उन्हें अस्थायी कनेक्शन की राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जा सकें।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन, आवेदक को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16 / 07 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) **(एस.एस. मंडलोई) सदस्य(अभियांत्रिकी)** **(राजीव अग्रवाल) अध्यक्ष**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ईवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री सुरेश चन्द्र नामदेव, सिंहपुर रोड
देसाई नगर, मातावाली गली, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–135/2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–135/2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 136/2018

28.03.2018

श्रीमदनलाल पुत्र श्री बिहारी
जे–473, दर्पण कॉलोनी **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 17.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।
2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/136दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 11.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।
3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
4. **आवेदक का कथन :–**यह किप्रार्थी संलग्न (2017का विद्युत बिल) रूपये 47300/– के संबंध में शिकायत के बाद जॉच होने के बाद क्या निर्णय हुआ, आज तक अप्राप्त हैं। जिसके कारण बिल नहीं भरते हैं।
2. विद्युत मीटर चैक करने हेतु रसीद क्रमांक 1798 दिनांक 21.12.17 को राशि रूपये 50/– जमा किये, लेकिन आज दिनांक 19.02.2018 तक मीटर लेब में चैक कराने हेतु मकान से नहीं निकाला, लिखित में अवगत करावें।
3. माह नवम्बर 17 के बिल को छोड़कर मैं शेष माह के बिल जमा करने को सहमत हूँ। कृपया आज्ञा हो, अवगत करावें अन्यथा कानूनी कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि प्रकरण के निराकरण हेतु उपभोक्ता के पूर्व आवेदन पर दिनांक 15.03.2018 को परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर रीडिंग 28 मीटर बाहर लगा पाया गया। माह 12/17 में उपभोक्ता की बिल 10805–15848 = 5043 यूनिट खपत का जारी किया गया था। तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा मीटर लेब में टेस्ट कराने हेतु आवेदन देने पर एल.टी./एम.टी. लेब में जॉच हेतु दिनांक 01.03.2018 को उक्त मीटर एफ.आर. 15963 पर निकाला जाकर एस.आर. 0003 पर नया मीटर लगाया गया।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

दिनांक 07.03.2018 को एल.टी./एम.टी. लेब परीक्षण क्रमांक 07/107 द्वारा मीटर टेस्ट करने पर मीटर का डॉयल टेस्ट करने पर रिजल्ट पृथक पृथक आता पाया जाकर मीटर तकनीकी रूप से खराब घोषित किया गया। मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर माह 12/17 के जारी देयक की खपत को निरस्त करते हुए नियमानुसार 8.35 के आधार पर माह जून 17 से अगस्त 17 तक 3 माह में आई खपत (171+386+91)/3 = 216 यूनिट के आधार पर माह 09/17 से 03/18 का देयक सुधारा जाकर रूपये 36109/– रूपये की क्रेडिट दी गई हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आवेदक को माह दिसम्बर 2017 में मीटर खपत 5043 यूनिट का विद्युत देयक राशि रूपये 46775/– का दिये जाने से असहमत होकर अनावेदक को एक आवेदन देकर उक्त देयक को संशोधित करने हेतु माह जुलाई 2017 से विद्युत मीटर खराब होने की शिकायत अनावेदक से की गई थीं। अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण में आवेदक का मीटर दिनांक 01.03.2018 को एफ.आर. 15963 पर निकालकर नया मीटर एस.आर. 0003 पर आवेदक के परिसर में लगाया गया था। आवेदक के परिसर से निकाले गये खराब मीटर का परीक्षण एल.टी./एम.टी. प्रयोगशाला, ग्वालियर में दिनांक 07.03.2018 को कराया गया था, जिसमें मीटर, डॉयल टेस्ट में खराब होना पाया गया। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार प्रथम दृष्टया आवेदक का विद्युत मीटर अगस्त 17 में रीडिंग 10805 के पश्चात बंद/खराब होना पाया गया। इस प्रकार आवेदक का विद्युत मीटर माह सितम्बर 17 से मार्च 18 की अवधि में बंद/खराब रहा। अतः मीटर खराब/बंद रहने की अवधि के विद्युत देयक, विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35(ब) के अनुसार आवेदक को जारी किये जाने चाहिये थें। अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8. 35(ब)के अनुसार आवेदक का मीटर बंद/खराब होने के पूर्व के तीन माह की विद्युत देयक की खपत का औसत (माह जून 17 में खपत 171 यूनिट, जुलाई 17 में खपत 386 यूनिट एवं अगस्त 17 में खपत 91 यूनिट, कुल खपत 648/3= 216 यूनिट प्रतिमाह) 216 यूनिट प्रतिमाह ली जाकर विद्युत देयक संशोधित करते हुए आवेदक को राशि रूपये 36109/– की क्रेडिट/समायोजन आवेदक के माह अप्रैल 18 के विद्युत देयक में किया जाना स्वीकार किया गया हैं, जो कि विधि एवं न्यायसंगत हैं।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ीवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री मदनलाल पुत्र श्री बिहारी
जे–473, दर्पण कॉलोनी
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–136/2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–136/2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 137/2018

28.03.2018

श्रीमंगल सिह पुत्र श्री मूंगाराम
शिव कॉलोनी, गली नंबर 2, पिण्टो पार्क **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 17.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/137दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 10.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :-यह कि

1. मेरा मीटर माह अप्रैल 2017 से खराब हैं। 2. दिनांक 18.05.2017 को मीटर चैक हो चुका हैं। 3. दिनांक 21.07.2017 को टेस्टिंग फीस जमा की। 4. टेस्टिंग में मीटर खराब पाया गया। 5. दिनांक 01.03.2018 को मीटर बदल दिया। 6. मेरे अनेक बार प्रार्थना करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। बराबर लगातार आंकलित खपत व गलत रीडिंग बिल में लिख रहे हैं। 7. मीटर बदलने के बाद कनेक्शन काट दिया हैं। 8. माह मार्च का बिल रूपये 4088/- का हैं। 9. मैं गरीब आदमी हूॅ। आटो चलाता हूॅ। 10. 300 वर्गफुट का छोटा सा मकान हैं। अतः प्रार्थना हैं कि बिल की रकम कम कर रूपये 10,000/- करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि प्रकरण के निराकरण हेतु उपभोक्ता का पुराना विद्युत मीटर दिनांक 01.03.2018 को एफ.आर. 12143 पर निकाला गया हैं एवं नया विद्युत मीटर एस.आर. 001 पर लगाया गया हैं।

मीटर बदलने की आर–3 की छायाप्रति संलग्न हैं। उपभोक्ता के पुराने विद्युत मीटर में क्रमशः खपत अगस्त 2017 में 1019 यूनिट, सितम्बर 2017 में 580 यूनिट व अक्टूबर 2017 में 405 यूनिट औसत खपत 668 यूनिट प्रतिमाह आती हैं। उपभोक्ता के विद्युत बिल माह नवम्बर 2017 में 668 यूनिट आंकलित खपत, दिसम्बर 2017 में 0 यूनिट, जनवरी 2018 में 358 यूनिट आंकलित खपत फरवरी 2018 में 342 यूनिट आंकलित खपत व मार्च 18 में 0 यूनिट के बिल जारी हुए है। उपभोक्ता के पुराने विद्युत मीटर की 3 माह की औसत खपत से बिलिंग हुई हैं, बिल में सुधार किया जाना संभव नहीं हैं। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिये आपकी ओर संलग्न प्रेषित हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक श्री मंगल सिह पुत्र श्री मूंगाराम, शिव कॉलोनी, गली नंबर 2, पिण्टो पार्क, ग्वालियर (म.प्र)के नाम पर एक सिंगल फेस घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2424902–47–23–708–7692000, संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट है। आवेदक का विद्युत मीटर अप्रैल 2017 में खराब हो गया था, जिसे दिनांक 18 मई 2017 में चैक किया गया। दिनांक 21.07.2017 को मीटर के परीक्षण हेतु परीक्षण शुल्क जमा कराया गया। इसके उपरांत दिनांक 01.03.2018 को पुराना खराब मीटर अंतिम रीडिंग 12143 पर निकालकर नया मीटर क्रमांक 836579, मेक जीनस, आरंभिक रीडिंग 0001 पर लगाया गया। पुराने मीटर को निम्न दाब विद्युत प्रयोगशाला, ग्वालियर में दिनांक 31.03.2018 को परीक्षण कराया गया, जिसमें मीटर की डिस्प्ल पर रीडिंग के अंक कटे आ रहे हैं। अतः मीटर तकनीकी रूप से खराब हैं।'' अतः मीटर तकनीकी रूप से खराब हैं'' बाबत नोट परीक्षण रिपोर्ट में अंकित हैं।

अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत बिलों की बकाया राशि रूपये 40880/– होने पर माह मार्च 2018 में विद्युत संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। इसके उपरांत भी आंकलित खपत लगाकर आवेदक को विद्युत देयक दिये जा रहे हैं। आवेदक द्वारा दिनांक 16.04.2018 को विद्युत बिलों की बकाया राशि रूपये 10,000/– का आंशिक भुगतान एवं 200/– रूपये आर.सी.डी.सी. के जमा किये जाने पर आवेदक का विद्युत प्रदाय चालू कर दिया गया। अतः फोरम से निवेदन हैं कि मेरे विद्युत बिलों में माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक लगायी गयी आंकलित खपत हटाकर संशोधित विद्युत देयक दिये जायें ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा दिनांक 23.05.2018 को आवेदक के परिसर का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार आवेदक के परिसर में स्थापित नये मीटर में रीडिंग 299 एवं डिस्प्ले साफ न होने कारण एम.डी. नोट नहीं की जा सकी। आवेदक के परिसर का

संयोजित विद्युत भार 1431 वॉट पाया गया। उपभोक्ता पासबुक एवं मीटर रीडिंग डायरी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक के मीटर में दर्ज खपत आवेदक के कथनानुसार माह अप्रैल 2017 से पूर्व के माहों की तुलना में असामान्य खपत दर्ज हो रही हैं। 01 मार्च 2018 को निकालकर नया मीटर क्रमांक 8365719 आरंभिक रीडिंग 0001 पर लगाया गया था। उक्त मीटर में 84 दिवस में कुल खपत 298 यूनिट दर्ज हुई हैं। नये मीटर का डिस्प्ले भी खराब होने के कारण उसकी एम. डी. रिकार्ड नहीं हो पा रही हैं। पुराना मीटर क्रमांक 455073 की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मीटर का डिस्प्ले पर मीटर रीडिंग के अंक कटे आ रहे हैं। अतः मीटर तकनीकी रूप से खराब हैं, बाबत् टीप अंकित हैं। उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि आवेदक का पुराना मीटर क्रमांक 455073 में माह मई 2017 से ही असामान्य विद्युत खपत दर्ज हो रही थीं। अतः आवेदक का यह मीटर 24 मार्च 2017 को मीटर में दर्ज रीडिंग 9184 के बाद से ही फोरम मीटर को खराब मानता हैं। मीटर खराब होने की अवधि 24 अप्रैल 2017 से 01 मार्च 2018 तक 10 माह की अवधि के विद्युत देयक विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 कंडिका 8.35 (ब) ''ऐसे प्रकरण में जहॉ मुख्य मापयंत्र (Main Meter) त्रुटि पूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (Check Meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारणपूर्व के तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटि पूर्ण पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत, मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थी, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त कण्डिका के अनुसार आवेदक का मीटर खराब होने के पूर्व के 3 माह की विद्युत खपत का औसत मीटर खराब होने की अवधि में प्रतिमाह विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जाने चाहिये।

फोरम का निर्णयः–अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि माह मई बिल्ड जून 2017 से फरवरी बिल्ड मार्च 2017 तक की अवधि में आंकलित खपत तथा मीटर में दर्ज असामान्य खपत के विद्युत देयकों को निरस्त कर आवेदक का विद्युत मीटर खराब होने के पूर्व मई 2017, खपत 317 यूनिट, अप्रैल 2017 खपत 208 यूनिट एवं मार्च 2017 खपत

234 यूनिट का औसत 253 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जावें। उक्त अवधि
में आवेदक द्वारा विद्युत बिलों के किये गये भुगतान की राशि को संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित कर दी जाने वाली क्रेडिट राशि में से पूर्व में दी जा चुकी क्रेडिट राशि रूपये 4495/– को कम करते हुए क्रेडिट समायोजित की जावें।

आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइचसण्ीवचंस@उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री मंगल सिह पुत्र श्री मूंगाराम
शिव कॉलोनी, गली नंबर 2, पिण्टो पार्क
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–137/2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–137/2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 138/2018

28.03.2018

श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री हरीशचन्द्र जादौन
ई–2/28, हनुमान नगर, गोले का मन्दिर, **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 17.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदिका ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/138दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 11.05.2018, 08.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**यह किप्रार्थी कमला देवी निवासी हनुमान कॉलोनी, गोले का मन्दिर ग्वालियर का मीटर क्रमांक 6146692000 दिनांक 14.08.2017 को जल गया था। उक्त दिनांक को कॉलोनी के अन्य 6–7 लोगों के मीटर भी जल गये थें। प्रार्थी का बिल इतना अधिक आ रहा हैं, जिसको भरना असंभव है। प्रार्थी का लोड चैक कर बिल कम अथवा सुधार किया जावें तथा नया मीटर लगाने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता के पुराने विद्युत मीटर में क्रमशः खपत मई 17 में 378 यूनिट, जून 2017 में 888 यूनिट, जुलाई 17 में 939 यूनिट औसत खपत 735 यूनिट प्रतिमाह आती हैं। चैक रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में पाया गया कुल भार 5204 वॉट हैं। उपभोक्ता की माह सितम्बर 17 से जनवरी 18 तक 2634 यूनिट आंकलित खपत की बिलिंग हुई हैं, जबकि पुराने विद्युत मीटर की औसत खपत 735x 5= 3675 यूनिट की बिलिंग होना थी। इस प्रकार 3675–2634 =1041 यूनिट की कम बिलिंग हुई हैं। अतः

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित किया जाना संभव नहीं हैं। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिये आपकी ओर संलग्न प्रेषित हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों एवं दस्तावेजों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया हैं कि आवेदिका श्रीमती कमला देवी के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424–90–2–40–2–6146692000 श्री हरिश्चन्द्र जगमोहन, गोला का मन्दिर, ग्वालियर में स्थित हैं। उक्त विद्युत कनेक्शन पर स्थापित विद्युत मीटर दिनांक 14.08.2017 को विद्युत लाईन में फाल्ट आने पर जल गया था। इसके साथ साथ कॉलोनी के 5–7 अन्य उपभोक्ताओं के भी विद्युत मीटर जल गये थें। दिनांक 19.11.2017 को अनावेदक कंपनी कार्यालय में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पश्चात सी.एम. हेल्प लाईन पर शिकायत करने पर 4 दिन बाद जला मीटर हटाकर नया मीटर लगा दिया गया। आवेदिका द्वारा माह दिसम्बर 2017 में विद्युत बिलों के रूपये 12641/– का भुगतान कर दिया गया था। इसके बाद आवेदिका को दिनांक 11.12.2017 को पुनः एक बिल राशि रूपये 4116/– का दिया गया। फिर दिनांक 17.12.17 को पुनः विद्युत बिल राशि रूपये 12641/– का जारी किया गया, जिसका भुगतान आवेदिका द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका था। दिनांक 17.12.17 को जारी किये गये बिल की राशि को हटाकर माह मई 2018 में दर्शाये गये बिल में संशोधित करने का कष्ट करें ताकि मैं विद्युत बिलों का आगे भी भुगतान कर सकूँ।

अनावेदक द्वारा दिनांक 24.11.17 को आवेदिका का जला हुआ मीटर बदलकर नया मीटर क्रमांक 102496 एस.आर. 0002.5 पर लगाया गया। आवेदिका का मीटर दिनांक 14.08.2017 से 24.11.2017 तक की अवधि में बंद/खराब रहा हैं। अतः आवेदिका को उक्त अवधि में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8. 35 ब के अनुसार मीटर खराब होने/जलने के पूर्व के 3 माहों की विद्युत खपत का औसत, प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक जारी किये जाने चाहिये। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदिका को माह सितम्बर 17 से जनवरी 18 तक की अवधि में मीटर बंद/खराब रहने के कारण उक्त अवधि 5 माह में कुल 2634 यूनिट आंकलित खपत का विद्युत देयक जारी किया गया, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 ब के अनुसार की जाने वाली बिलिंग से कम हैं, जिससे अनावेदक संतुष्ट हैं।

आवेदिका का वर्ष 2014, 2016 एवं नया मीटर स्थापित करने के पश्चात समान्तर माहों में विद्युत की खपत लगभग समान हैं। आवेदिका का यह कहना कि उसके द्वारा दिसम्बर 17 को विद्युत बिल के किये गये भुगतान राशि रूपये 12641/– का देयक दो दो बार दे दिया गया हैं, जिसका समायोजन किया जायें, सही नहीं हैं क्योंकि, माह दिसम्बर बिल्ड जनवरी 2018 में माह की औसत खपत 510 यूनिट का ही विद्युत देयक

अनावेदक द्वारा आवेदिका को जारी किया गया हैं। उसके पश्चात आवेदिका द्वारा माह जुलाई 18 तक किसी भी विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया हैं, जिसकी पुष्टि भी उपभोक्ता पासबुक से होती हैं।

अनावेदक द्वारा आवेदिका की शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही विधि एवं न्याय संगत पाई गई हैं।

अतः आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन आवेदिका एवं फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17 / 07 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –मबहतइिचसण्ीवचंस/उचब्रण्बवण्पद)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री हरीशचन्द्र जादौन
ई–2/28, हनुमान नगर, गोले का मन्दिर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–138/2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17/07/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–138/2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17/07/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 139/2018

28.03.2018

श्रीमती रूबी दण्डोतिया
नारायण विहार कॉलोनी, राजपूत किराने के सामने, **(आवेदक)**
गोले का मन्दिर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 18.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/139दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 11.05.2018, 07.06.18 एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**यह किप्रार्थिनी ने अपने मकान पर मीटर सर्विस क्रमांक 173436 दिनांक 14.02.2013 को लगा था।4 अप्रैल 2015 को प्रार्थिया का बिल 35989/- रूपये आया था लेकिन, प्रार्थिया ने 30 मार्च 2015 को 18000/- रूपये केंप में जमा किये लेकिन, पेनाल्टी नहीं हटाई गई। 27 मार्च 2016 को 15000/- रूपये जमा एवं 9800/- रूपये 13 अगस्त 2016 को जमा किया। प्रार्थिया द्वारा 30 मार्च 2015 से 13 अगस्त 2016 तक 42800/- रूपये विभाग को जमा किये गये परन्तु, कोई संशोधन नहीं किया गया। प्रार्थिया को परेशान करने की नियत से आंकलित खपत एवं आपके कर्मचारियों द्वारा रीडिंग दी गई, उसी के अनुसार प्रार्थिया ने समय-समय पर बिलों को पेनाल्टी सहित बिलों का भुगतान दिया। आपके कर्मचारियों द्वारा गलत बिलिंग दी जा रही हैं, जो अवैध हैं। प्रार्थिया गरीब हैं। प्रार्थिया के पति घर से बाहर काम करते हैं। प्रार्थिया अनपढ़ हैं। सिर्फ वह अपने हस्ताक्षर करना जानती हैं। इतना बिल जमा करने के बाद 5 सितम्बर 2016 में मेरा बिल 16178/- रूपये शेष था। 31 जुलाई 2017 को 35022/- रूपये था। जिसके बाद इसी राशि को बढ़ाकर 55081/- रूपये कर दी गई, इसके बाद अक्टूबर-नवम्बर 2017 को मीटर बिना बताए बदल दिया गया। कहा गया कि मीटर

खराब हैं और हस्ताक्षर भी करायें। मीटर खराब होने की स्थिति सही हैं या गलत, यह तो आपके विद्युत कर्मचारी ही बता सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी विद्युत रीडर की बनती हैं, जो विभाग को बताना चाहिए था कि न किसी अन्य से मीटर में छेड़खानी करवाई। वर्तमान में 85000/– रूपये का बिल बताया गया, जो अवैध हैं। प्रार्थिया के बिल से आंकलित खपत एवं मनमानी बिल का संशोधन कर एवं पेनाल्टी माफ करके सही राशि का बिल बनाने की कृपा करें। जिससे प्रार्थिया आपके पूर्व के बिलों का भुगतान कर सकेगी। श्रीमान जी से मेरे घर पर न तो फैक्ट्री हैं और न ही कोई चक्की हैं। मैं अपने हिसाब से बिजली बचत करती हूॅ। यह मेरा काम हैं, फालतू बिजली को रोकना। मेरे मीटर को लेब में जॉच कर रीडिंग बिल देने एवं और मेरे नाम में परिवर्तन करने की कृपा करें। मैं प्रार्थिनी सदा आपकी आभारी रहूॅगी। आपके विभाग द्वारा प्रार्थिया को बिना नोटिस दिये श्री परिहार ने 08/03/2018 को मीटर खींच लिया गया हैं, जिसे लगाने का कष्ट करें। हम काफी परेशान हो रहे हैं, हेण्ड पंप से पानी लाने को मजबूर हैं। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लिहाजा श्रीमान जी आपसे निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थिनी पर अपनी मैर बनाये रखें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में लेख किया गया हैं, 04.04.15 को प्रार्थी का बिल 35989/– रूपये आया हैं, जो कि बकाया राशि थीं एवं वह मार्च 2015 की राशि उपभोक्ता द्वारा 30.03.2015 को केम्प में रूपये 18000/– जमा किये गये थें। जो राशि चैक द्वारा भुगतान पार्ट पेमेण्ट के रूप में की गई थीं, लेकिन जमा किया गया चैक डिस्ओनर हो जाने के कारण उपभोक्ता को सरचार्ज छूट का लाभ नहीं मिल सका एवं बाकी विद्युत बिल वास्तविक रीडिंग होने के कारण सुधार किया जाना संभव नहीं हैं। माह 11/17 एवं 12/17 में उपभोक्ता के देयकमें आंकलित खपत लगी थीं, जिन्हें हटाकर बिल सुधार दिया गया हैं। माह 03/18 में उपभोक्ता के ऊपर विद्युत बिल की बकाया राशि रूपये 81006/– होने के कारण कनेक्शन काटकर मीटर निकाल लिया गया हैं।

उक्त प्रकार उपभोक्ता के देयक में अन्य कोई संशोधन/सुधार किया जाना संभव नहीं हैं। अतः प्रकरण को समाप्त करते हुए कृपा उपभोक्ता को शेष बकाया राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका ने जनवरी 2014 से मार्च 2018 तक कभी भी विद्युत बिलों का नियमित भुगतान नहीं किया गया। उक्त अवधि में आवेदिका ने 21 मई 2015 को रूपये 18500/–, 27 मार्च 2016 को रूपये 1500/–, 13 अगस्त 2016 को रूपये 9800/– एवं 31 जनवरी 2017 को रूपये 13000/– कुल राशि रूपये 42800/– का भुगतान किया गया हैं।

अतः आवेदिका द्वारा जनवरी 14 से मार्च 18 तक की अवधि में विद्युत देयकों का नियमित भुगतान न करने के कारण बकाया राशि अधिक हो जाने एवं आवेदिका के विद्युत देयकों में लगायी गई आंकलित खपत को हटाकर विद्युत देयक संशोधित करने एवं विद्युत मीटर तेज चलने के कारण मीटर बदलने एवं विद्युत बिलों को संशोधित करने का निवेदन किया गया हैं।

आवेदिका के कथनानुसार उनका विद्युत मीटर माह अक्टूबर– नवम्बर 17 में बदल दिया गया हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से भी होती हैं। अनावेदक द्वारा आवेदिका के विद्युत बिलों में माह नवम्बर 17 एवं दिसम्बर 17 में क्रमशः 945 यूनिट एवं 1185 यूनिट आंकलित विद्युत खपत लगाकर आवेदिका को जारी किये गये हैं। अतः आंकलित खपत हटाकर माह मार्च 18 का विद्युत देयक पूर्व की बकाया राशि रूपये 81006/– सहित कुल देयक राशि 84050/– रूपये का विद्युत देयक जारी किया गया हैं। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदिका को माह सितम्बर 17 में मीटर में दर्ज खपत 11900 एवं विद्युत खपत 2301 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया हैं। इसके पूर्व एवं नया मीटर स्थापित करने के बाद भी असामान्य खपत दर्ज नहीं हुई। उपभोक्ता पासबुक का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता हैं कि उक्त माह में मीटर में रीडिंग जंप हुई हैं, क्योंकि इससे पूर्व के माहों में कभी भी आवेदिका की रीडिंग इतनी अधिक नहीं आई हैं। अतः आवेदिका का मीटर जंप होने के कारण फोरम मीटर क्रमांक 1733436 को खराब मानता हैं। अतः माह सितम्बर 17 से दिसम्बर 17 तक की अवधि के विद्युत देयक **विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 ब** के अनुसार मीटर बंद/खराब रहने की अवधि के पूर्व के 3 माह की खपत का औसत प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जाने चाहिये। अतः फोरम अनावेदक द्वारा आवेदक को माह सितम्बर 17 से दिसम्बर 17 तक की अवधि में जारी विद्युत देयक को निरस्त करता हैं एवं अनावेदक को निर्देशित करता हैं कि मीटर बंद/खराब रहने की अवधि के पूर्व के तीन माह का औसत, माह अगस्त 2017, जुलाई 2017 एवं जून 2017 की खपत क्रमशः 223 + 231 + 245 = 699/3 = 233 यूनिट खपत प्रतिमाह लेकर संशोधित विद्युत देयक आवेदिका को जारी करें।

इस प्रकार आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन, आवेदिका एवं फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती रूबी दण्डोतिया
नारायण विहार कॉलोनी, राजपूत किराने के सामने,
गोले का मन्दिर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 07 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–139 / 2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 07 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–139 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 07 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 146/2018

28.03.2018

श्री संतोष प्रजापति
राजपूत चक्की के पास, छुट्टा की बजरिया, **(आवेदक)**
पानपत्ते की गोठ, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 18.07.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/146दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 11.05.2018, 07.06.18, 08.06.18एवं 12.07.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—यह किप्रार्थी की घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 7780262000 विगत 05 माह से बंद था, जिसे दिनांक 29.06.2017 में समस्त बकाया राशि का भुगतान उपरांत चालू कराया गया था, विद्युत मीटर जब बंदथां, तब उसकी रीडिंग 4805 थीं।

माह जुलाई 2017 का बिल जब आपके विभाग द्वारा जारी किया, उसमें रीडिंग 7819 आई थीं, जिसे सुधार कराने हेतु प्रार्थी द्वारा लगातार आपके कार्यालय में कई बार संपर्क कर मीटर चैकर द्वारा मीटर चैक भी कराया गया, के उपरांत माह नवम्बर के बिल में रीडिंग सुधार की जाकर एवरेज बिल रूपये 6754/— दिया गया था। जिसे वास्तविक खपत के आधार पर जारी करने हेतु प्रार्थी आपके विभाग में कई बार मौखिक रूप से निवेदन कर चुका हैं किन्तु, आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि मीटर चालू दिनांक से माहवार रीडिंग के अनुसार बिल में सुधार करने एवं विलम्ब शुल्क तथा आंकलित खपत माह जुलाई में 200 एवं

माह सितम्बर 1071 तथा एवरेज बिल हटाकर वास्तविक खपत के अनुसार बिल में सुधार करने का कष्ट करें ताकि, प्रार्थी बिल की वास्तविक राशि कुल मीटर खपत के अनुसार जमा कर सकें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री संतोष प्रजापति के बिल में से समस्त आंकलित खपत हटाकर माह फरवरी 2018 में राशि रूपये 34820/– की क्रेडिट दी जा चुकी हैं एवं सुरक्षा निधि से रूपये 1500/– की राशि समायोजित की जा चुकी हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक को माह जनवरी 2017, मार्च 2017 एवं जून 2017 के विद्युत बिलों में 52 यूनिट प्रत्येक में आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक दिये गये थें। इसके पश्चात माह जुलाई 2017 से विद्युत देयक मीटर से गलत रीडिंग 7819 लेकर माह अक्टूबर 2017 तक, जुलाई 2017 में 3014 यूनिट, अगस्त 2017 में 200 यूनिट आंकलित खपत तथा माह अक्टूबर 2017 में 1071 यूनिट आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये गये, से असहमत होकर माह जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि में मीटर खपत एवं आंकलित खपत को हटाकर विद्युत देयकों को मीटर में दर्ज वास्तविक खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित करने का निवेदन किया गया हैं ताकि, वह संशोधित विद्युत देयकों का भुगतान कर सकें।

अनावेदक द्वारा आवेदक के गलत रीडिंग के बिल तथा आंकलित खपत लगाकर जारी किये गये विद्युत देयकों में से गलत खपत एवं आंकलित खपत हटाकर वास्तविक खपत लेकर आवेदक के उपरोक्त समस्त विद्युत देयकों को संशोधित कर आवेदक को रूपये 34820/– की क्रेडिट/समायोजन करना लिखित में स्वीकार किया गया है, जिसकी पुष्टि माह फरवरी 2018 के प्रस्तुत विद्युत देयक से होती हैं, जो कि नियमों के अनुरूप एवं न्यायसंगत पाई गई। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18/07/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री संतोष प्रजापति
राजपूत चक्की के पास, छुट्टा की बजरिया,
पानपत्ते की गोठ, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 07 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–146 / 2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 07 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–146 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 07 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक /07/2018

प्रति,
श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी,
पुत्र श्री रामगोपाल चतुर्वेदी ,
निवासी लोहा बाजार, विदिशा (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-01/2018 दिनॉक 02.04.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-01/2018दिनॉक 02.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 05.07.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि विदिशा। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–01/2018 दिनांक 02.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 05.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.01/2018

02.04.2018

श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी,
पुत्र श्री रामगोपाल चतुर्वेदी , (आवेदक)
निवासी लोहा बाजार, विदिशा (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,(सं./सं.) संभाग (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., विदिशा(म.प्र.)

आदेश

आज–05.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/01दिनॉक 02.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 16.04.2018, 07.05.2018, 21.05.2018, 14.06.2018 एवं 21.06.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

   1. यह कि शिकायतकर्ता के लोहा बाजार विदिशा स्थित निवास गृह में शिकायतकर्ता के पिता स्व. श्री रामगोपाल जी चतुर्वेदी के नाम से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है जिसका कनेक्शन क्रमांक 21–8–86623 है। इस कनेक्शन से उपयोग की गई मापन के लिये एक विद्युत मीटर लगा है। मीटर में दर्शायी गई विद्युत खपत के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा मासिक विद्युत बिलो का भुगतान किया जाता रहा है।

   2. यह कि शिकायतकर्ता को उक्त कनेक्शन के माह फरवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक विद्युत खपत 51 से 70 यूनिट प्रतिमाह के बिल दिये गये।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

माह मई, जून, जुलाई 2017 में वास्तवित खपत में मनगढत आंकलित खपत जोडकर गलत बिल दिये गये। माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक मीटर रीडिंग प्रतिमाह 10322 दर्शायी गई तथा मनगढत ढंग से बिना किसी आधार से 300 से 320 यूनिट प्रतिमाह आंकलित खपत के बिल दिये गये। यह आंकलित खपत वास्तवित खपत से बहुत अधिक थी। इस प्रकार शिकायतकर्ता को माह मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक मनमानेढंग से बिना किसी आधार से आंकलित खपत के बिल दिये गये जो कि आवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

3. यह माननीय विद्युत नियामक आयोग एवं विद्युत वितरण कम्पनी के नियमानुसार मीटर खराब होने या बंद होने की अवधि में मीटर बंद होने के पूर्ववर्ती तीन माह की औसत विद्युत खपत के आधार पर उपभोक्ता को औसत यूनिट के विद्युत बिल दिये जाने का प्रावधान है।

4. यह कि शिकायतकर्ता को माह मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक मनमानेढंग से आंकलित खपत के आधार पर कुल 2274 यूनिट के बिल दिये गये जबकि नियमानुसार पूर्ववर्ती तीन माह फरवरी, मार्च, एवं अप्रैल 2017 के वास्तविक खपत के औसत 60 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 480 यूनिट के बिल दिय जाने थे इस प्रकार उक्त अवधि में 2274 यूनिट में से वास्तवित 480 यूनिट कम किये जाने पर 1794 यूनिट अधिक आंकलित खपत के बिल दिये जो पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है तथा निरस्त योग्य है।

5. यह कि शिकायतकर्ता को गलत आंकलित खपत के बिल दिये जाने तथा दिये गये गलत बिलों में नियमानुसार संशोधन हेतु शिकायतकर्ता द्वारा बार बार मौखिक निवेदन किया गया और दिनांक 11.08.2017 तथा दिनांक 21.12.2017 को लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की गई किन्तु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आज दिनांक तक बिलों में सुधार कर नया बिल जारी नही किया गया। शिकायतकार्ता का उक्त दोष रहित मीटर दिनांक 12.01.2018 को बदल कर नया मीटर लगाया गया।

6. यह कि माह दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि में शिकायतकर्ता के बिलों में संशोधन करने का आश्वासन विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा दिया जाता रहा और बिलों की राशि जमा करने को कहा जाता रहा। विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों के आश्वासन पर भरोसा कर शिकातकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2017 को रूपये 517/– दिनांक 13.03.2017 को रूपये 600/– दिनांक 18.06.2017 को रूपये 1983/– तथा दिनांक 14.09.2017 को रूपये 3000/–इस प्रकार कुल राशि रूपये 6100/– विद्युत वितरण कम्पनी में जमा कराये किन्तु फिर भी कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बिलों में संशोधन नही किया गया और लगातार गलत आंकलित खपत के बिल दिये जाते रहे। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी में उक्त जमा की गई राशि की रसीदे माननीय फोरम के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

7. यह कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा गलत बिलों में संशोधन न कर के गलत बिल जमा करने हेतु शिकायतकर्ता पर दवाव डाला जा रहा है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 03.03.2018 को एक नोटिस जारी कर 7 दिवस के अंदर उक्त कनेक्शन की बकाया बिल राशि जो कि पूर्णतः गलत एवं निराधार है जमा करने को कहा गया

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

है बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता का कनेक्शन विच्छेदित करने तथा विद्युत चोरी का प्रकरण बनाये जाने की धमकी दी गई है इस कारण शिकायतकर्ता को माननीय फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का वाध्य होना पड़ा है।

8. यह कि शिकायतकर्ता को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नियमानुसार औसत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किये जावे तो शिकायतकर्ता शेष बकाया बिल राशि तत्काल जमा करने हेतु तत्पर है।

9. यह कि शिकायतकर्ता को मनगढ़त आंकलित खपत के आधार पर दिये गये बिलों को निरस्त कर नियमानुसार ओसत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में मूल विवाद की विषय वस्तु आवेदक के अनुसार उसे प्रदान किये गए विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2624945–21–8–8662300000 के देयको में वास्तविक खपत के साथ आंकलित खपत को जोडकर दिया जाना एवं अत्यधिक आंकलित खपत के बिल बिना किसी आधार के दिये जाने के कारण माननीय न्यायलय के समक्ष उक्त अभ्यावेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

1. आवेदक के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन पर लगा मीटर पॉच अनुसंख्यीय (Five Desit) का होने से माह जनवरी 2017 में मीटर वाचन 9999 होने के उपरांत मीटर 01 वाचन से प्रारंभ होकर मीटर परिवर्तिन दिनांक 12.01.2018 तक (मीटर मेक निरंक, क्षमता 5–30 एम्पीयर, मीटर क्रमांक निरंक रीडिंग (एफ.आर. 1971) अंतिम वाचन 1971 पर निकाला गया तादोपरांत नया मीटर (मेक एच.पी.एल.) क्षमता 5–30, मीटर क्रं. 2970440 रीडिंग (एस.आर)–3) की प्रविष्टि पर बदला गया था।

2. आवेदक के परिसर में लगे पुराने मीटर को दिनांक 12.001.2018 को बदलने पर पाया गया कि मीटर का अंतिम वाचन 1971 है, परंतु मीटर परिवर्तन प्रतिवेदन (आर–3) की प्रविष्टि कम्प्यूटर सिस्टम की प्रणाली में दर्ज न हो पाने के कारण आवेदक को प्रदत्त किये गए विद्युत बिल में माह दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक एवं माह मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक आंकलित खपत 2219 की बिलिंग की गयी है, जिसमें से पुराने मीटर की वास्तविक खपत 1971 की रीडिंग को समायोजित करते हुए आवेदक के विद्युत बिल माह अप्रैल 2018 के देयक में राशि रू. 6358/– की क्रेडिट प्रदान कर दी गयी है, संलग्न पुनरीक्षित बिलिंग गणना पत्रक आ

3. आवेदक के विद्युत बिल में गलत देयक प्रदान करने के कारण लगाए गए सरचार्ज की राशि रूपये 958/– का समायोजन विद्युत बिल माह मई 2018 के देयक में कर दिया गया है, प्रपत्र–ब

4. आवेदक को वर्तमान माह मई 2018 में प्रदान किये गए विद्युत देयक में सरचार्ज की राशि 958/– को कम करते हुए शुद्ध देयक 19034 का प्रदान किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण कर दिये जाने के कारण माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 16.04.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 21–8–86623, जो कि मेरे निवास लोहा बाजार विदिशा में स्थापित हैं। मुझे दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2017 तक मीटर सही होने के बावजूद भी आंकलित खपत जोड़कर विद्युत बिल जारी किये गये हैं, जो कि काफी अधिक राशि के हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा विद्युत विभाग में आवेदन पत्र दिया गया, किन्तु मेरी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया एवं आश्वासन दिये जाते रहें एवं राशि जमा करने हेतु कहा जाता रहा। जिसे मेरे द्वारा जनवरी 2017 में 517/– रूपये, मार्च 2017 में 600/– रूपये, जून 2017 में 1983/– रूपये तथा सितम्बर 2017 में 3000/– रूपये इस प्रकार कुल 6100/– की राशि जमा कराई जा चुकी हैं। जबकि तीन माह के आधार पर औसत खपत 60 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से 480 यूनिट आती हैं, लेकिन मुझे मनगढ़न्त तरीके से भारी भरकम बिल जारी किये गये हैं एवं कनेक्शन काटने हेतु नोटिस दिया गया हैं।

आश्वासन के दौरान मेरे परिसर में पुराना मीटर बदलकर नया मीटर दिनांक जनवरी 2018 में लगाया गया हैं। मेरी उक्त राशि का समायोजन किया जावें एवं वास्तविक औसत खपत के आधार पर जमा की गई राशि का समायोजन किया जाकर संशोधित बिल दिये जावें, जिसका मैं भुगतान करने हेतु सहमत हूँ। मेरे प्रकरण का निराकरण करते हुए संबंधित को कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही से रोका जायें।

दिनांक 21.05.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री रामगोपाल चतुर्वेदी निवासी लोहा बाजार, विदिशा, सर्विस क्रमांक 21–08–8662300000 का मीटर पांच अनुसंख्यीय (Five Digit) का होने के कारण माह जनवरी 17 के मीटर वाचन 9999 के उपरांत 01 से प्रारंभ होकर मीटर परिवर्तन की दिनांक 12.01.18 तक मीटर का अंतिम वास्तविक वाचन 1917 था, परन्तु मीटर परिवर्तन प्रतिवेदन (आर–3), प्रविष्ठि कम्प्यूटर प्रणाली में न होने से माह दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक एवं मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक आंकलित खपत की बिलिंग की गई। जिसे मीटर की वास्तविक खपत 1917 से पुनरीक्षित करने पर क्रेडिट रूपये 6358/– उपभोक्ता को देय होता हैं। जिसका बिलिंग स्टेटमेण्ट एवं सुधारे गये बिल की प्रति माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं। अतः उपभोक्ता को दी जाने वाली क्रेडिट देकर माह मई 18 के बिल में आवश्यक संशोधन कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

दिनांक 21.06.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक ओर से उपस्थित श्री दीपक श्रीवास्तव, विधि सहायक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि प्रकरण में मूल विवाद की विषय वस्तुत आवेदक के अनुसार उसे प्रदान किये गये विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2624945–21–8–8662300000 के देयकों में वास्तविक खपत के साथ आंकलित खपत को जोड़कर दिया जाना एवं अत्यधिक आंकलित खपत के बिल बिना किसी आधार के दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अभ्यावेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं।

1. आवेदक के उपरोक्त विद्युत कनेक्शन पर लगा मीटर पॉच अनुसंख्यीय (Five Digit) का होने से माह जनवरी 2017 में मीटर वाचन 9999 होने के उपरांत मीटर 01 वाचन से प्रारंभ होकर मीटर परिवर्तन दिनांक 12.01.2018 तक (मीटर मेक निरंक, क्षमता 5–30 एम्पियर, मीटर क्रमांक निरंक रीडिंग (एफ.आर.) 1971 अंतिम वाचन 1971 पर निकाला गया, तदोपरांत नया मीटर (मेक एच.पी.एल., क्षमता 5–30 एम्पियर, मीटर क्रमांक 2970440 रीडिंग (एस.आर.) 03 पर बदला गया था।

2. आवेदक के परिसर में लगे पुराने मीटर को दिनांक 12.01.2018 को बदलने पर पाया गया कि मीटर का अंतिम वाचन 1971 हैं, परंतु मीटर परिवर्तन प्रतिवेदन (आर–3) की प्रविष्टि कम्प्यूटर सिस्टम की प्रणाली में दर्ज न हो पाने के कारण आवेदक को प्रदत्त किये गये विद्युत बिल में माह दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक एवं माह मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक आंकलित खपत 2219 की बिलिंग की गयी हैं, जिसमें से पुराने मीटर की वास्तविक खपत 1971 की रीडिंग को समायोजित करते हुए आवेदक के विद्युत बिल माह अप्रैल 2018 के देयक में राशि रूपये 6358/– की क्रेडिट प्रदान कर दी गयी हैं,

3. आवेदक के विद्युत बिल में गलत देयक प्रदान करने के कारण लगाये गये सरचार्ज की राशि रूपये 958/– का समायोजन विद्युत बिल माह मई 2018 के देयक में कर दिया गया हैं।

4. आवेदक को वर्तमान माह मई 2018 में प्रदान किये गये विद्युत देयक में सरचार्ज की राशि 958/– को कम करते हुए शुद्ध देयक 13034 का प्रदान किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थना हैं कि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण कर दिये जाने के कारण माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

आवेदक की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता श्री डी.एन. हरदेनिया द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि माह जनवरी 17 में मीटर रीडिंग 9999 पर बंद हो गया था। उसके बाद जो बिल जारी किये गये हैं, वे काल्पनिक आधार पर जारी किये गये हैं। दिनांक 12 जनवरी 2018 को हमारा मीटर बदला गया। जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक काल्पनिक आधार पर औसत यूनिट बिलिंग की गई हैं। अनावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज में मीटर परिवर्तन रिपोर्ट में मीटर की अंतिम रीडिंग 1971 दर्शायी गयी हैं। जबकि विद्युत

वितरण कंपनी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत बिलिंग स्टेटमेण्ट में अंतिम रीडिंग 10322 दर्शायी गयी हैं, जो कि

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

काल्पनिक हैं। दोनों दस्तावेजों में अंतिम रीडिंग में अंतर हैं। मीटर बदं रहने की उक्त अवधि में पूर्ववर्ती वाचन के आधार पर हमें औसत आधार पर बिल दिया जायें। उक्त अवधि का औसत खपत 60 यूनिट प्रति माह आती हैं। उस आधार पर बिलिंग की जाना उचित होगा। दिसम्बर 2016 में आवेदक के ऊपर कोई एरियर बकाया नहीं था। इस अवधि में दिसम्बर 2016 से सितम्बर 2017 तक उपभोक्ता द्वारा 6100/– रूपये जमा किये गये। जो 720 यूनिट खपत में समायोजित कर संशोधित बिल जारी किया जायें। लगाये गये सरचार्ज की सम्पूर्ण राशि भी समाप्त की जावें।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक को दिये गये विद्युत बिलों में नियमानुसार संशोधन कर दिया गया हैं तथा आवेदक द्वारा किया गया उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं एवं इस संबंध में आवेदक ने कोई भी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

प्रकरण आवेदक की मूल शिकायत यह थी कि उसे मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक आंकलित खपत जोड़कर बिल दिये गये। जिसमें माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक एक ही मीटर रीडिंग 10322 दर्शायी जाकर 300 से 320 यूनिट आंकलित खपत बिल दिये जो कि वास्तविक खपत से बहुत अधिक है तथा अवैधानिक होकर निरस्त करने योग्य है। साथ ही यह भी कि माह जनवरी 2017 में मीटर रीडिंग 9999 पर बंद हो गया था। उसके बाद जो बिल जारी किये गये है वे काल्पनिक आधार पर जारी किये गये है। दिनांक 12.01.2018 को हमारा मीटर बदला गया। अनावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज में मीटर परिवर्तन रिपोर्ट में मीटर की अंतिम रीडिंग 1971 दर्शायी गयी है जबकि अनावेदक कंपनी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत बिलिंग स्टेमेंट में अंतिम रीडिंग 10322 दर्शायी गयी है, जो कि काल्पनिक है दोनों दस्तावेजों में अंतिम रीडिंग में अंतर है। मीटर बंद रहने की उक्त अवधि में पूर्ववर्ती वाचन के आधार पर हमें औसत आधार पर बिल दिया जाये।

अनावेदक द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण में की गयी कार्यवाही में फोरम के समक्ष संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर पूर्व में पांच अंको का पुराना मेक का मीटर स्थापित था, जिसमें माह जनवरी 2017 में मीटर वाचन 9999 होने के उपरांत मीटर 01 वाचन से प्रारम्भ होकर मीटर परिवर्तन दिनांक 10.01.2018 तक मीटर चल कर अंतिम वाचन 1971 पर मीटर निकाला गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी एवं मीटर परिवर्तन रिपोर्ट का फोरम द्वारा अवलोकन करने पर अनावेदक का उक्त कथन सही पाया गया। वास्तव में माह फरवरी 2017 में मीटर जनवरी 2017 की रीडिंग 9999 से फारवर्ड होकर 0050 पर आ गया जिसे मीटर रीडर द्वारा रीडिंग डायरी में 10050 अंकित किया गया तथा उसकेबाद के माहों में मीटर रीडिंग उसी अनुसार आगे बढाते हुये दर्ज की गयी। जो नियमानुसार सही पायी गयी। मीटर रीडर द्वारा माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक किन्ही अज्ञात कारणों से स्थिर रीडिंग 10322

अंकित की गयी तथा 300 एवं 320 आंकलित खपत यूनिट दर्ज की गयी। जबकि मीटर दिनांक 12.01.2018 को पायी अंतिम रीडिंग 1971 के अनुसार रीडिंग डायरी में अंतिम रीडिंग 11971 तक दर्ज होना चाहिये थी।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया कि आवेदक के परिसर में लगे पुराने मीटर को दिनांक 12.01.2018 को बदलने पर पाया गया कि मीटर का अंतिम वाचन 1971 है। परंतु आर–3 की प्रविष्टि कम्प्यूटर सिस्टम की प्रणाली में दर्ज नही हो पायी। आवेदक को माह दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 एवं मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक आंकलित खपत 2219 की बिलिंग की गयी जिसमें से पुराने मीटर की वास्तविक खपत 1971 की रीडिंग को समायोजित करते हुये आवेदक के माह अप्रैल 2018 के देयक में राशि रूपये 6358/– की क्रेडिट प्रदान कर दी गयी है तथा आवेदक को गलत देयक करने के कारण लगाये गये सरचार्ज की राशि रूपये 958/– का समायोजन भी माह मई 2018 के देयक मे कर दिया गया।

फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण में अनावेदक द्वारा की गयी कार्यवाही न्यायसंगत एवं नियमानुसार पायी गयी। अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 05.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,

श्री अनिल कुमार आत्मज छग्गू लाल,
झुग्गी नं. –647, भीम नगर, सतपुड़ा ,
भवन के पास भोपाल, (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-03/2018 दिनॉक 20.04.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-03/2018दिनॉक 20.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 09.07.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–03 / 2018 दिनांक 20.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 09.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। अतः अनावेदक को निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.03/2018

20.04.2018

श्री अनिल कुमार आत्मज छग्गू लाल,
झुग्गी नं. –647, भीम नगर, सतपुड़ा, (आवेदक)भवन
के पास भोपाल, (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग, (दक्षिण) (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भोपाल (म.प्र.)

आदेश

आज–09.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/03दिनॉक 20.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 03.05.2018, 14.05.2018, 05.06.2018 एवं 13.06.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

1. यह कि परिवादी उपरोक्त पते पर निवासरत है। विपक्षी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लिमि संस्थान है जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उपभोक्ता को प्रदान कर इससे सम्बंधित समस्त कार्यप्रणाली का संचालन उपरोक्त वर्णित पते से संचालित किया जाता है।
2. यह कि परिवादी अपनी झुग्गी में घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया, जिसका सर्विस क्रमांक 2304602–25–10–1502994000 मीटर नं. 599382 है, जिसका कि परिवादी द्वारा मात्र घरेलू उपयोग में लाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है, कि परिवादी जिस झुग्गी में निवासरत है,

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उक्त झुग्गी मात्र एक कमरे की है, जिसमें एक टी.वी., पंखा, बल्ब है तथा परिवादी उक्त झुग्गी में मात्र स्वयं ही निवास करता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति निवासरत नही है।

3. यह कि परिवादी को अनावेदक द्वारा कनेक्शन प्राप्ति उपरांत से प्रदान किये जाने वाले का भुगतान परिवादी द्वारा नियमित रूप से मई 2017 तक का किया जाता रहा है। परन्तु परिवादी को जून 2017 से नवम्बर 2017 तक का बिल प्रदान नही किया गया तथा तत्संबंध में परिवादी विपक्षी कार्यालय में जाकर सम्पर्क करता तो उनके द्वारा परिवादी की किसी भी प्रकार से सहायता न करते हुये भगा दिया जाता था, जिस कारण परिवादी काफी मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता रहा।

4. यह कि परिवादी द्वारा अनावेदक से बार–बार बिल प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर बमुश्किल अनावेदक द्वारा नवम्बर 2017 को परिवादी को प्रदान किया तथा उसमें लिखी रीडिंग की राशि का भुगतान तत्तकाल जमा करने हेतु कहा, चूकिं परिवादी अनपढ़ व्यक्ति है, जिस कारण उसके द्वारा जब उक्त बिल अपने भतीजे को दिखाया, जिस पर ज्ञात हुआ कि जून 2017, जुलाई 2017, अगस्त 2017, सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2017 की रीडिंग एकसमान अर्थात 4501 अंकित थी, तथा नवम्बर 2017 में रीडिंग सीधे 2727 का प्रदान किया जिसे देख परिवादी काफी हतप्रभ हो गया।

5. यह कि परिवादी द्वारा जब जून 2017, जुलाई 2017अगस्त 2017, सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2017 की रीडिंग अंकित एकसमान अर्थात 4501 रीडिंग के संबंध में बात करने गया, क्योंकि परिवादी अपने निवास स्थान पर मात्र एक टी.वी, बल्फ, पंखा के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्युत उपकरण का उपयोग–उपभोग नही करता है, परिवादी को उक्त चारों माह से पूर्व 4501 की रीडिंग का बिल भी प्राप्त नही हुआ। परिवादी तत्संबंध में अनावेदक के कार्यालय जाकर बात करना चाही तो उनके द्वारा हमेशा परिवादी से कहा, कि पहले बिजली का बिल जमा करे, तदोपरांत ही कोई कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा विद्युत कनेक्शन काट दिया जावेगा।

6. यह कि इसी के चलते अनावेदक द्वारा परिवादी की झुग्गी का विद्युत कनेक्शन नवम्बर 2017 को काट दिया है, जिस कारण परिवादी को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है, क्योकि परिवादी जो कि मजदूरी का कार्य करता है, जो कि दिनभर काफी मेहनत मजदूरी करता है, जिस कारण वह काफी थक जाता है, परन्तु परिवादी को विगत नवम्बर 2017 से अपनी झुग्गी में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण परिवादी को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है, जिस कारण परिवादी को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक पीढा कारित हो रही है।

7. यह कि परिवादी द्वारा बार–बार अनावेदक के कार्यालय जाकर समस्या का निराकरण करने हेतु निवेदन किया जा रहा है, लेकिन अनावेदक जो कि अपनी मांग पर अडे हुये है, तथा हमेशा कहते है, कि जब तक परिवादी उक्त पांच के रीडिंग का बिल का भुगतान को कुल 24242/– (चौबीस हजार दो सौ बयालीस) रूपये के लगभग होती है, का भुगतान परिवादी नही करता, तब तक परिवादी की कोई बात नही सुनी जायेगी। जबकि परिवादी एक मजूदर

व्यक्ति है, जो कि दैनिक मजदूरी कर बमुश्किल प्रतिदिन 200/– रूपये के लगभग आय अर्जित कर पाता है, जिससे वह अपना भरण पोषण करता है। उक्त परिस्थति में विपक्षी इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने में असमर्थ है जबकि परिवादी ने आज तक इतनी रीडिंग तक बिजली का उपयोग नही किया है।

8. यह कि यहां यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि परिवादी जो कि अपनी झुग्गी में अकेला ही निवास करता है तथा मार्च 2018 के पश्चात के माह जो कि अत्याधिक ग्रीष्मकालीन माह है, जिसमें परिवादी को पंखे की अत्यधिक आवश्कयता होती है, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत विच्छेदित कर देने के कारण परिवादी को उक्त ग्रीष्मकाल में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा परिवादी को एक मांग सूचना पत्र क्रमांक 32 दिनांकित 24.03.2018 प्रदान किया, जिसमें परिवादी को बकाया राशि 19796/– रूपये का भुगतान करने हेतु कहा जा रहा है।

9. यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी का कृत्य सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार पृथा का परिचायक है। जिससे परिवादी को अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित हुई है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जबावदारी विपक्षी की है। अतः विपक्षी परिवादी को हुई क्षति की भरपाई हेतु उत्तरदायी है।

10 यह कि विपक्षी का स्थानीय कार्यालय माननीय फोरम के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय फोरम को प्रकरण के श्रवण एवं निराकरण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

11. यह कि परिवादी पत्र वैधानिक समयवधि में उचित न्याय शुल्क पर माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत है।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि परिवादी की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से प्राप्त पत्र के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. बिन्दु क्रमांक 1 यह सही है।

2. बिन्दु क्रमांक 2 यह सही है।

3. बिन्दु क्रमांक परिवादी द्वारा यह कहना गलत है, कि उसके द्वारा कनेक्शन प्राप्ति उपरांत से नियमित भुगतान किया गया है। यह कहना भी गलत है, कि उसे जून 2017 से नवम्बर 2017 तक का कोई भी बिल प्रदान नही किया गया है। यह कहना भी गलत है कि परिवादी विपक्षी कार्यालय में जाकर संपर्क करता तो उनके द्वारा परिवादी की किसी भी प्रकार से सहायता न करते हुये भगा दिया जाता था, जिस कारण परिवादी कॉफी मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताडित होता रहा**जबकि परिवादी ने माह अगस्त 2017 का बिल राशि रूपये 1320/– जमा कराये थे, जो कि उसे प्राप्त बिल के आधार पर ही किये थे।**

4. बिन्दु क्रमांक 4 यह कहना गलत है, कि परिवादी द्वारा अनावेदक से बार–बार बिल प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अनावेदक द्वारा नवम्बर 2017 को परिवादी को बिल

प्रदान किया गया एवं उसमें लिखि रीडिंग की राशि का भुगतान तत्काल जमा करने हेतु कहा गया। **परिवादी द्वारा अपने परिवाद में माह सितम्बर 2017 का बिल लगाया गया है। इससे स्पष्ट है, कि परिवादी को माह सितम्बर 2017 का बिल भी प्राप्त हुआ था,** जबकि अपने आवेदन में माह नवम्बर 2017 तक के बिल प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जोन क्षेत्र में स्पॉट बिलिंग के माध्यम से रीडिंग व बिल वितरण कार्य सम्पन्न हो रहा है। जिसमें स्पॉट (घर) पर ही बिल उपभोक्ता उपलब्ध करा दिया जाता है। माह नवम्बर 2017 में मीटर में रीडिंग 7238 पाये जाने पर एकत्रित यूनिट 2737 का बिल जारी हुआ था।

5. बिन्दु क्रमांक 5 यह कहना गलत है कि परिवादी को जोन 2017, जुलाई 2017, अगस्त 2017 सितम्बर 2017 आदि माह के बिल प्राप्त नही हुये है, जबकि परिवादी ने अपने आवेदन के साथ में माह सितम्बर 2017 का बिल भी लगाया है, जो कि उसे प्राप्त हुआ था। यह कहना गलत है कि परिवादी तत्संबंध में अनावेदक के कार्यालय में जाकर बात करना चाही तो उनके द्वारा परिवादी से कहा गया कि पहले बिजली का बिल जमा करो तदोपरान्त ही कोई कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा विद्युत कनेक्शन काट दिया जावेगा। आवेदक इस कार्यालय में दिनांक 13.11.2017 को लेखी आवेदन के साथ उपस्थित हुआ था। जिस पर तत्काल सुनवाई की गयी थी, एवं मीटर की रीडिंग स्वयं चैक कर नोट करने को कहा गया था, जिस पर परिवादी द्वारा स्वयं दिनांक 13.11.2017 को रीडिंग 7257, दिनांक 14.11.2017 को 7259, दिनांक 15.11.2017 को 7262 नोट की थी, नोट करने के पश्चात् पुनः कार्यालय में आकर बिल सहित उपरोक्त रीडिंग बतायी थी। जिस पर प्रतिदिन खपत लगभग 2 और 3 यूनिट दर्ज हुये थे। इससे स्पष्ट था, कि मीटर सही चल रहा है, एवं पूर्व में मीटर में दर्ज रीडिंग परिवादी द्वारा उपयोग की गयी विद्युत खपत का ही बिल है। परिवादी को समझाइश भी दी गयी थी, एवं पायी गयी एकत्रित यूनिट को नियमानुसार पिछले माहों के दौरान ली गयी आंकलित यूनिट 574 को घटा कर शेष यूनिट को 18 माहों में विभाजित कर बिल संशोधित कर राशि रूपये 6,062/– सी.सी.बी. पृष्ठ क्रमांक 124/48 दिनांक 23.11.2017 को मूल बिल घटाकर बिल राशि रूपये 17,948/– का जारी किया गया था। परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होते ही उसके निवेदन पर तत्काल सुनवाई की गयी थी, एवं समाधान भी किया गया था। साथ ही परिवादी को सामर्थ अनुसार बिल राशि किस्तों में जमा करने को कहा गया था। परिवादी द्वारा सितम्बर 2017 का है, जो कि संलग्न प्रपत्र से स्पष्ट है।

6. बिन्दु क्रमांक 6 परिवादी का कनेक्शन विद्युत बिल की बकाया राशि माह सितम्बर 2017 माह अक्टूबर 2017 एवं माह नवम्बर 2017 के बिलों का भुगतान न करने के कारण विच्छेदित किया गया था, एवं परिवादी को यह भी सहूलियत दी गयी थी कि वह बिल राशि किस्तों में भुगतान करें, किन्तु परिवादी द्वारा कोई राशि जमा न करने के कारण कनेक्शन विच्छेदित किया गया।

7. परिवादी द्वारा यह कहना गलत है, कि बार–बार अनावेदक के कार्यालय जाकर निवेदन किया एवं अनावेदक अपनी मांग पर अड़े हुये है, कि बिल का भुगतान कुल राशि रूपये 24,242/– का नही करता है, तब तक कोई बात नही सुनी जावेगी। जबकि परिवादी का बिल नवम्बर 2017 माह में ही परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये संशोधित कर दिया गया था,

जो कि आज दिनांक 05.05.2018 तक बिल मात्र 19,894/– का ही है। परिवादी द्वारा उपयोग किये गये विद्युत खपत का ही बिल है, जिसका भुगतान भी परिवादी को ही करना है, एवं इस हेतु किस्तों में बिल भुगतान का भी कहा गया है।

8. यह सही है, कि मार्च 2018 के पश्चात के माह जो कि अत्यधिक ग्रीष्म कालीन माह है एवं परिवादी को मांग–सूचना पत्र क्रमांक 32, दिनांक 24.03.2018 को प्रदान किया गया था, जिसमें परिवादी की बकाया बिल राशि रूपये 19,796/– का जारी किया गया था। जो कि संशोधन बाद बकाया बिल राशि का है।

9. परिवादी द्वारा यह कहना गलत है, कि सेवा में कमी गयी है। परिवादी द्वारा कभी भी लगातार बिलों का भुगतान नही किया गया है, जो कि प्रपत्र से स्पष्ट है, एवं परिवादी के आवेदन पर तत्काल सुनवाई करते हुये समाधान किया गया था, एवं नियमानुसार बिल संशोधित भी कर दिया गया था, साथ ही सामर्थ अनुसार किस्तों में बिल भुगतान किये जाने का भी कहा गया था।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 14.05.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे पास म. प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. से प्राप्त मीटर कनेक्शन जिसका सर्विस क्रमांक 2304602–25–10–1502994000 मीटर नंबर 59932382 हैं, जिसका मैं उपभोक्ता हूॅ। मेरी झुग्गी मात्र एक कमरे की हैं, जिसमें एक पंखा, एक टी.वी. व एक बल्ब हैं। मेरे द्वारा मई 2017 तक समय समय पर विद्युत बिलों का भुगतान किया गया है। जून 2017 से नवम्बर 2017 तक मुझे नियमित बिल प्राप्त नहीं हुए। विपक्षी कार्यालय में सम्पर्क करने पर कोई उचित उत्तर न देते हुए भगा दिया गया। जिससे मुझे अत्याधिक मानसिक संताप कारित हुआ। जो बिल प्राप्त हुआ, उसके संबंध में नवम्बर 2017 में सम्पर्क करने पर तत्काल जमा करने हेतु कहा गया। चूॅकि परिवादी अनपढ़ व्यक्ति हैं, उसने उक्त बिल अपने भतीजे से पढ़वाया, जिसमें पता चला कि जून –जुलाई– अगस्त– सितम्बर 2017 की रीडिंग एक समान अर्थात 4501 दर्शित हैं। जबकि नवम्बर 2017 में रीडिंग सीधे 2727 यूनिट दर्ज कर बिल प्रदान किया गया। चूॅकि मैं समय समय पर भुगतान करता रहा हूॅ एवं पूर्व की मीटर रीडिंग अनुसार मेरी बिल रीडिंग 80 से 100 यूनिट के मध्य ही रही हैं। जिसके संबंध में विपक्षी को बताने पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से राशि का भुगतान किये बिना सुनने तक से इंकार कर दिया गया और नवम्बर 2017 में बिना किसी उचित कारण मेरी झुग्गी का कनेक्शन काट दिया। जिस कारण मुझे निरन्तर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। मैं मजदूर हूॅ एवं वृद्ध हूॅ। बिजली जो कि

बुनियादी आवश्यकता हैं, का कनेक्शन अनावेदक द्वारा बिना किसी उचित कारण के काट दिये जाने से मुझे अत्याधिक संताप एवं

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

परेशानी कारित हुई हैं और मैं बीमार रहने लगा हूॅ तथा नियमित मजदूरी भी नहीं कर पा रहा हूॅ। जबकि अनावेदक द्वारा स्वयं अपने जवाब में 2 से 3 यूनिट की खपत प्रतिदिन होना सही माना हैं। ऐसी दशा में एक ही महीने में 2727 यूनिट बिजली खपत होना संभव नहीं हैं। ऐसी दशा में उक्त गलत बिल निरस्त किया जाना एवं मुझे अनावेदक से क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। साथ ही अकारण विच्छेदित किये गये मीटर कनेक्शन को अविलंब चालू किये जाने का आदेश जारी किया जाये जिससे इस भीषण गर्मी में मुझ गरीब को राहत प्राप्त हो सकें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा कार्यालय में एक आवेदन दिनांक 13.11.17 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माह नवम्बर 17, को बिल अधिक आने की शिकायत प्रस्तुत की गई थीं। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मीटर की वास्तविक रीडिंग नोट करने के लिये कहा गया था एवं लगातार 3 दिन, दिनांक 13.11.17, 14.11.17 एवं 15.11.17 की रीडिंग नोट कराई गई, जिसमें प्रतिदिन खपत 2 यूनिट और 3 यूनिट दर्ज हुई थीं। इससे स्पष्ट था कि मीटर सही चल रहा हैं एवं उपभोक्ता द्वारा मीटर से की गई खपत की रीडिंग ही मीटर में दर्ज हुई हैं। मीटर में दर्ज एकत्रित यूनिट को पिछले 18 माहों में विभाजित कर पुराने महीनों के टेरिफ अनुसार बिल को संशोधित किया गया एवं उस दौरान आंकलित खपत 574 यूनिट को भी घटाकर राशि रूपये 6062/– का क्रेडिट उपभोक्ता को दिनांक 23.11.17 को ही मूल बिल से दी जा चुकी हैं। आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पर तत्काल कार्यवाही की गई थीं। आवेदक को क्षमता अनुसार किश्तों में बिल जमा करने की भी सलाह दी गई थीं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण माह नवम्बर 17 में ही किया जा चुका हैं। अतः माननीय फोरम से प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

अनावेदक को फोरम द्वारा निर्देशित किया गया कि जब तक कि प्रकरण का निराकरण फोरम द्वारा नहीं किया जाता हैं, कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से चालू किया जायें। प्रकरण में परिसर का भौतिक सत्यापन करवाया जावें एवं निरीक्षण रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जायें। उपभोक्ता का मीटर बदलकर नया मीटर लगाया जायें। पुराने मीटर की जॉच, क्षेत्रीय मीटर परीक्षण लेब में कराई जायें एवं पिछले 6 माह की रीडिंग एवं एम.डी. का डाटा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जायें।

दिनांक 05.06.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के निर्देशानुसार आवेदक के परिसर की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा आर.एम.टी.एल. लेब में दिनांक 17.05.18 को जॉच कराई गई, जिसकी जॉच रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा पुराने मीटर में दर्ज पिछले 6 माह की रीडिंग एवं एम.डी. का डाटा फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया हैं, जिसे फोरम द्वारा स्वीकार किया गया।

दिनांक 13.06.2018 को फोरम के समक्ष आवेदक की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता श्री राहुल चौबे द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि फोरम द्वारा वांछित रिपोर्ट की

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक से प्राप्त प्रति के पृष्ठ 2 में वर्णित रिमार्क में स्वयं अनावेदक की जॉच में पाया गया हैं कि **''मीटर पुनः उपयोग हेतु नहीं हैं''** अर्थात मीटर त्रुटिपूर्ण हैं। साथ ही अनावेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपने जवाब के बिन्दु क्रमांक 5 में द्वितीय पृष्ठ के आरंभ में स्वयं स्वीकार किया हैं कि ''जिस पर प्रतिदिन खपत 2 और 3 यूनिट दर्ज हुये थें। इससे स्पष्ट था कि मीटर सही चल रहा हैं।'' उक्त स्वीकारोक्ति से प्रमाणित हैं कि आवेदक की खपत प्रति दिन 2 से 3 यूनिट ही हैं, जो स्वयं अनावेदक स्वीकार करता हैं। आवेदक द्वारा समय समय पर भुगतान भी अनावेदक कंपनी को किया हैं जिसकी पुष्टि जवाब के तृतीय पृष्ठ से होती हैं। अवलोकनीय हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बिल माह मार्च 2018 में वर्णित विगत माहों में खपत का ब्यौरा के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि सितम्बर 17 में 81 यूनिट, अक्टूबर 17 में 84 यूनिट, नवम्बर 17 में लगभग 2737 यूनिट दर्शित हैं अर्थात सितम्बर एवं अक्टूबर 17 में अनावेदक के कर्मचारी द्वारा ही मीटर की रीडिंग ली गई थीं एवं नवम्बर 17 की रीडिंग भी अनावेदक के कर्मचारी द्वारा ही ली गई थीं। ऐसी दशा में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट जिसमें आवेदक के घर में मात्र एक सीएफएल, एक पंखा एवं एक टी.वी. उपकरण हो ऐसे घर में एक ही माह में लगभग ढाई हजार यूनिट की खपत होना असंभव हैं। साथ ही अनावेदक की जॉच रिपोर्ट में मीटर खराब होना पाया हैं, न कि उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जाना। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व अनावेदक का स्वयं का है। अनावेदक द्वारा अपनी त्रुटि को छिपाते हुए उसका बोझ गरीब, वृद्ध आवेदक पर डाला जा रहा हैं, जो कि न्याय संगत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का उक्त माह का त्रुटिपूर्ण बिल क्षमा किया जाकर आवेदक को अनावेदक से आवेदन पत्र में वांछित क्षतिपूर्ति दिलायी जावें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि फोरम द्वारा चाही गई जानकारी मीटर टेस्टिंग लेब की रिपोर्ट, जिसमें विगत 6 माह की खपत दर्ज हैं एवं उपभोक्ता पासबुक माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं।

प्रकरण में आवेदक एंव अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं कथनों का फोरम द्वारा अवलोकन किया गया। आवेदक एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला (बी.पी.एल.) उपभोक्ता है। जिसका विद्युत कनेक्शन एक झुग्गी में स्थापित है। जिसमें अनावेदक द्वारा दिनांक 15.05.2018 को बनाये गये पंचनामा क्रमांक 54/36 के अनुसार कुल संबद्ध भार लगभग 150 वॉट है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता पासबुक के अनुसार उपभोक्ता को माह जून 2017 तक मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी किये गये। इसके पश्चात माह जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक स्थिर रीडिंग 4501 के बिलों में आंकलित

खपत यूनिट खपत बिल जारी किये गये। फिर माह नवम्बर 2017 में मीटर रीडिंग 4501 से 7238 के अंतर 2737 यूनिट का बिल जारी किया गया। उपभोक्ता द्वारा अचानक अधिक यूनिट का बिल प्राप्त होने पर अनावेदक के कार्यायल में शिकायत किये जाने पर अनावेदक द्वारा उपभोक्ता मीटर में इक्ट्ठी खपत मानकर 15 माहों समान रूप से विभाजित कर लगभग 194 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर उपभोक्ता का बिल संशोधित किया गया। अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के बिल में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता के लगातार 3 दिन मीटर रीडिंग करायी गयी। जिसमें उपभोक्ता की प्रतिदिन 2 से 3 यूनिट मीटर खपत दर्ज हुई। जिससे यह स्वतः प्रमाणित होना

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

पाया गया कि आवेदक की औसत विद्युत खपत 70 से 80 यूनिट मासिक है। उपभोक्ता की की औसत खपत के इस मान से प्रकरण में अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के मीटर की आर.एम. टी. लैब में जांच करायी गयी। जिसमें मीटर में Dateऔर Time में defect पाये जाने पर मीटर defectiveपाया गया। मीटर में Dateऔर Time में defect होने के कारण फोरम के मत में इस बात की पूरी संभावना है कि मीटर में माह अक्टूबर नवम्बर 2017 में तकनिकी रूप से खराबी आने के कारण असमान्य व्यवाहार कर रहा था। जिसके कारण इस बात की पूरी संभावना है कि मीटर द्वारा असमान्य खपत दर्ज की गई। एक अन्य प्रकरण में पूर्व में भी मीटर रीडिंग अचानक जम्प होने संबंधी मीटर टेस्टिंग लेब से प्रमाणित साक्ष्य फोरम के समक्ष प्रस्तुत हो चुके है। उक्त प्रकरण में भी मीटर में Dateऔर Time में defect पाया गया था।

प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता के संबद्ध विद्युत भार 150 वॉट, प्रतिदिन दर्ज होने वाली विद्युत खपत तथा मीटर में पाये गये defectके आधार पर फोरम द्वारा उपभोक्ता को माह नवम्बर 2017 में जारी किया गया 2737 यूनिट का बिल मान्य योग्य नही पाया गया। अतः अनावेदक द्वारा 2737 यूनिट के बिल को इक्ट्ठी यूनिट का बिल मानकर पूर्व में किये गये संशोधन की कार्यवाही को फोरम द्वारा निरस्त किया जाता है। फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता को माह नवम्बर 2017 मे जारी बिल निरस्त किया जाये और उसके स्थान पर उपभोक्ता को नये मीटर में दर्ज हो रही खपत को आधार मानकर 80 यूनिट का बिल भुगतान हेतु जारी किया जाये।

प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 09.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
श्रीमति राजल बाई, पत्नी राधेश्याम,
ग्राम सेमला गोगा, पोस्ट मुण्डला बारोल, तह. नरसिंहगढ़
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-37/2018दिनॉक 22.02.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-37/2017 दिनॉक 22.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 04.07.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि नरसिंहगढ़। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–37 / 2018 दिनांक 22.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 04.07.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन आगामी माह अगस्त 2018 के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से फोरम की ओर प्रेषित किया जावे।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.37/2018

22.02.2018

श्रीमति राजल बाई, पत्नी राधेश्याम,
ग्राम सेमला गोगा, पोस्ट मुण्डला बारोल, (आवेदक)
तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग, (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
नरसिंहगढ़ (म.प्र.)

आदेश

आज– 04.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/37दिनॉक 22.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक,12.03.2018,03.04.2018,17.04.2018, 05.05.2018, 15.05.2018 एवं21.06.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वितरण केन्द्र झाड़ला डी.सी वाले मेरे नाम पर दो–दो बिल भेज रहे है। जबकि मेरे नाम से एक ही कनेक्शन है। जबकि उन दोनों बिलों में ना सर्विस नं. एक जैसा है और न ही IVRS नं.। अतः कम्पनी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा कहा गया कि तुम्हें किसी दिन एक लाख चालीस हजार जमा करने पड़ेगे। जबकि मेरे पूरे बिल जमा है। फिर भी मुझसे आये दिन परेशान किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नाम पर जो दो बिल आये है उसमें जो अवैध बिल है, उसे निरस्त करने की कृपा करे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किउक्त शिकायत का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि शिकायतकर्ता श्रीमति राजल बाई पत्नी श्री राधेश्याम निवासी सेमला गोगा की शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि श्रीमति राजलबाई द्वारा 5 एच.पी. का कृषि पम्प हेतु अनुदान योजनान्तर्गत एक विद्युत कनेक्शन दिनांक 11.05.2016 को लिया गया था जिसका सर्विस क्रमांक 99–46–334571 है। जिसकी आर–3 कम्प्यूटर में दिनांक 11. 05.2016 को पंच करवा दी गई थी। तत्पश्चात् वितरण केन्द्र कार्यालय द्वारा भूलवंश उसी आर–3 को दिनांक 30.07.2017 को पुनः कम्प्यूटर में पंच करने हेतु भेज दिया गया, जिससे वही आर–3 पंचकर दी गई जिसका सर्विस क्रमांक 99.46.343250 प्रदाय किया गया। इस प्रकार भूलवश श्रीमति राजलबाई पत्नी श्री राधेश्याम के दो कनेक्शन 5 एच.पी. के जारी हो गये।

2. भूलवश हुई इस गलती के सुधार करते हुए इस माह में दूसरी बार पंच हुए सर्विस क्रमांक 343250 को स्थाई रूप से विच्छेदित करते हुए उस पर कनेक्शन दिनांक से जारी सम्पूर्ण डिमान्ड राशि को क्रेडिट कर समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है। चूकिं बिलिंग हेतु एल.टी. बिलिंग (कम्प्यूटर प्रभाग) में एक बार ही डाटा भेजकर सुधार कार्य किया जा सकता है, अतः इस माह में शिकायत का सम्पूर्ण निराकरण कर दिया जावेगा। आगामी माह में उपभोक्ता को सम्पूर्ण सुधार उपरांत प्रथम सर्विस क्रमांक 334571 का एक ही बिल प्रदाय किया जावेगा।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 12.03.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि श्रीमती राजलबाई पत्नी श्री राधेश्याम, ग्राम सेमला गोगा, पोस्ट मूण्डला बारोल, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के परिसर का स्थल निरीक्षण दिनांक 10.03.2018 को करने पर पाया गया कि श्रीमती राजल बाई का 25 के.व्ही.ए. अनुदान का ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें एक ही कनेक्शन है, जिसका क्रमांक 99–46–343250 हैं, जिस पर कोई बकाया राशि नहीं हैं। उपभोक्ता के पंप कनेक्शन के दो बिल दिये जा रहें हैं, जिसका दूसरा कनेक्शन क्रमांक 99–46–334571 हैं।

उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.12.2014 को आवेदन दिया गया था, जिसका आर–1 नंबर 283, दिनांक 16.12.2014 हैं तथा दूसरा कनेक्शन क्रमांक 99–46–334571 आर.एम. एस. में गलत आर–3 पंच होने के कारण उपभोक्ता को बिल जारी हो गया था, जिसको

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

आज दिनांक 12.03.2018 को पी.डी.सी. कर दिया गया हैं एवं उपभोक्ता पर बकाया राशि 14075/– की राशि Withdraw करने हेतु प्रकरण संभागीय कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक 12.06.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि श्रीमती राजल बाई पत्नी श्री राधेश्याम निवासी सेमलागोगा की शिकायत की जॉच करने पर पाया गया कि श्रीमती राजलबाई द्वारा 5 एच.पी. का कृषि पंप हेतु अनुदान योजनान्तर्गत एक विद्युत कनेक्शन दिनांक 11.05.2016 को लिया गया था। जिसकी आर–3 कम्प्यूटर में दिनांक 11.05.2016 को पंच करवा दी गई थीं, जिसका सर्विस क्रमांक 99–46–334571 हैं। तत्पश्चात वितरण केन्द्र कार्यालय द्वारा भूलवश उसी आर–3 को दिनांक 30.07.2016 को पुनः कम्प्यूटर में पंच करने हेतु भेज दिया गया, जिससे वही आर–3 पुनः पंच कर दी गई, जिसका नया सर्विस क्रमांक 99–46–343250 जनरेट हो गया। इस प्रकार भूलवश श्रीमती राजलबाई पत्नी श्री राधेश्याम के दो कनेक्शन 5 एच.पी. के जनरेट हो गये।

भूलवश हुई इस गलती के सुधार करते हुए दूसरी बार पंच हुए सर्विस क्रमांक 343250 पर कनेक्शन दिनांक से जारी सम्पूर्ण डिमाण्ड राशि को क्रेडिट कर समायोजित कर दिया गया हैं (छायाप्रति संलग्न हैं।) तथा पुनः पंच हुए सर्विस क्रमांक 343250 को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु बिलिंग प्रभाग द्वारा प्रयास उपरांत सहायक यंत्री (आई. टी) राजगढ़ से संपर्क करने पर उनके द्वारा भी असमर्थता जताई गई तथा उनके द्वारा बताया गया कि साफ्टवेयर के प्रोग्राम अनुसार पंप कनेक्शन का एग्रीमेण्ट पीरियड दो वर्ष दिनांक 30.07.18 को समाप्त होगा, तभी उक्त कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेद हो सकेगा। अतः निवेदन हैं कि उक्त सर्विस कनेक्शन के विच्छेदित दिनांक तक आवेदिका को इस सर्विस क्रमांक की कोई राशि देय नहीं करना होगी। शिकायत का संपूर्ण निराकरण करते हुए उपभोक्ता को सुधार उपरांत प्रथम बार आवंटित सर्विस क्रमांक 334571 का एक ही बिल जारी किया जावेगा।

प्रकरण में उपभोक्ता श्रीमति राजल बाई को उनके 5 एच.पी. के एक ही कृषि पम्प कनेक्शन के दो बिल प्राप्त होने पर उनके प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष शिकायत किये जाने पर अनावेदक द्वारा जांच कर बताया गया कि उपभोक्ता के कृषि पम्प कनेक्शन की आर–3 मूलवश दो बार पंच हो जाने के कारण दो सर्विस कनेक्शन जनरेट हो गये। जिसमें भूल सुधार करते हुये कनेक्शन क्रमांक 343250 पर कनेक्शन दिनांक से जारी सम्पूर्ण डिमांड राशि का क्रेडिट समायोजन कर कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कम्प्यूटर बिलिंग साफ्टवेयर के प्रोग्राम अनुसार नियमानुसार दो वर्ष की अनुबंध अवधि दिनांक 30.07.2018 को समाप्त होने पर तत्तकाल उक्त कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा। आवेदिका को इस कनेक्शन से संबंधित कोई भी राशि देय नही होगी। सुधार उपरांत उपभोक्ता की सर्विस क्रमांक

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

334571 का एक ही बिल जारी किया जायेगा। प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदिका की शिकायत के निराकरण के संबंध में की गयी कार्यवाही विधि अनुकूल पाये जाने से फोरम द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन आगामी माह अगस्त 2018 के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से फोरम की ओर प्रेषित किया जावे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 04.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
मेसर्स गिरिजा कॉलोनाईजर्स एवं डेवलपर्स ,
केयर आफ होटल सुरेन्द्र विलास ,
240 जोन–1, एम.पी.नगर, भोपाल(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-41/2018 दिनॉक 20.03.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-41/2018दिनॉक 20.03.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 16.07.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग(पश्चिम) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–41 / 2018 दिनांक 20.03. 2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16.07.2018 को इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। अतः आपको निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.41/2018

20.03.2018

मेसर्स गिरिजा कॉलोनाईजर्स एवं डेवलपर्स , (आवेदक)
केयर आफ होटल सुरेन्द्र विलास ,
240 जोन–1, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग(पश्चिम) (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भोपाल(म.प्र.)

आदेश

आज–16.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/41दिनॉक 20.03.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 05.04.2018, 21.04.2018, 21.05.2018, 14.06.2018 एवं 07.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि बाह्य विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 5 एम.व्ही.ए. से 8एम.व्ही.ए. करने के मद में म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं भोपाल द्वारा राशि रूपये 39,62,517/– का दिनांक 30.03.2017 को मांगपत्र जारी करना एवं विधि सम्मत न होते हुए भी वादी से राशि जमा करवाना।

उक्त मांग पत्र को अवैध घोषित किया जाकर, वादी द्वारा जमा की गई राशि रू. 39,62,517/– की राशि मय ब्याज के वापिस दिलवाई जाए।

M/s Girja Colonizers and Developers is the builder/developer of a newly developed colony 'Surendra Manik' situated at Barkhera Pathani, Bhopal, developed under

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

the provisions of relevant M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh adhiniyam1973. Thus, for the purposes of external electrification of the colony Surenrda Manik, M/s Girija Colonizers and Developers is an applicant as defined under Regulation 2(b) of MPERC (Recovery of Expenses and Other Charges for providin electric line of plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-I), 2009

That unedr Chapter III of the Regulations of 2009, Regulation 3(x) provides for classsification of various consumer categories. The applicant falls within the category of 'New residential Colonies Developed under Relevant State Government Regulation; which further comes within the category of 'LT Domestic Consumer'

The Chapter IV of the Regulation of 2009, contains exhaustive list of various expenses and other charges to be paid for by the applicants/consumers depending upon their classification in different categories.

That Regulation 4.1(A) deals with the category of LT Domestic consumers, within which clause (b) deals specifically with the expenses and other charges recoverable by the distribution licensee licnsee from the applicant/Consumers of New Residential Colonies Developed under relevant state Government Regulations.

That Regulation 4.1.3 (iii) under 4.1 (A) (b) Provides, as hereunder :-

" The supply shall be arranged through a separate Distribution sub-station of adequate capacity) However if combined load of the comples/colony is not more than 200 kw shall be levied towards system Development cost. Such Applicant (s) shall not be required to pay charges for installation of 33/11 KV Sub-station. If combined load of the comples/colony is more than 2000 KW, the applicants (s) is/are required to pay charges for installation of 33/11 KV Sub-station of required capacity towards system development."

That the applicant approached MPMKVV for approval of estimate of external electrification for supply of electricity connection to residents/line for undertaking develoment and construction of the aforesaid residential colony. The applicant submitted an application along with survey cost of Rs.10,000/- on 28.02.2015 to the distribution licensee MPMKVV. The combined electricity load of the proposed coloy was around 1368 KW, which is much less than 2000 KW.

That the ED/CE (T&D) approved the estimate for external electrification of the applicant, which as per Electricity Supply Code 2013 comes at 1368 KW. Hence, in the light of the aforementioned regulation the applicant is not liable to pay the system development charges for the installation of 33/11 KV Sun-station, much less its capacity enhancement.

That pursuant to the approval of estimate, the distribution licensee raised a demand note of Rs. 13,74,798/- in the file ERP no. 210239 since the sanctioned load of the applicant's colony was much below 2000 kw (i.e 1368 kw), the applicant was liable for payment of Rs. 500/- per kw as a system development cost. Hence, the system development cost of Rs.6,84,400/- levied @ of Rs. per kw, was included in the demand of Rs. 13,74,798/-, alongwith other expenses and charges.

That the applicant was astonished to have received 1 more demand note of Rs. 44,20,725/- in the second file ERP 210169, in the name of augmentation of 5 MVA to 8 MVA PTR Sub-station under 100% full deposit scheme, meaning thereby that the cost of installation/capacity enhancement of 33/11 kv sub-station is recovered from the applicant. It seems that the distribution licensee treated the application of the applicant to be a new residential colony with an electric load of more than 2000 kw for which the augmentation charge for development of electric sub-station may be recovered from the applicant/consumer.

Whereas the fact of the matter is that the sanctioned load of applicant is only 1368 kw for which the system development cost @ Rs. 500 per kw had already been recovered, there fore the augmentation/system development cost of installation of 33/11 kv much less PTR 5 MVA to 8 MVA cannot be recovered by the distrbution licensee, from the applicant.

That the applicant approached the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Challenging the demand of Rs.44,20,725/- by way of W.P. no ...../2016, on the ground of the same being illegal, arbitrary and without any legal basis, The Hon'ble High Court directed the applicant to exercise the alternative remedy provided under MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for Redressal of grievances of the consumers) (Revision-I) Regulations,2009

That there after the applicant submited letter dated 01.03.2017 alongwith the four cheque, including cheque of amount Rs. 44,20,725/- under protest, reserving its right to challenge the demand. Thereafter, the distribution licensee MPMKVVCL the estmate vide ERP no. 342616 having report dated 30-03-2017 and issued fresh demand notice dt. 30-03-2017 with the same work for Rs. 39,62,517/- . The revised demand dated 30-03-2017 is still arbitrary and illegal as it was raised in the name of augmentation of PTR from 5 MVA to 8 MVA at 33/11 KV. It is relevant to note that the revised demand was still without any legal basis and contrary to the aforementioned Regulation of 2009.

That the applicant paid the revised demand of Rs.39,62,517/- under protest reserving its right to challenge the same. The applicant had to pay the same under the coercionof districution licensee, of giving supply only after the same is paid.

That Regulation 3 (i) provides that the charges under these regulation shall be recoverable form the applicant/consumer only to the extent applicable, Thus, the distribution licensee cannot impose the burden of any such charge/expense of development of Sub-station upon the applicant, when the same is specifically prohibited in the regulation of 2009, meaning thereby that the same is not applicable upon the applicant.

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत का उत्तर अनावेदक की ओर से माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैः–

1. यह कि आवेदक की मुख्य रूप से शिकायत बाह्य विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 5 एम.व्ही.ए. से 8 एम.व्ही.ए. करने के मद में अनावेदक द्वारा राशि रूपये 39,62,517/– का दिनांक 30.03.2017 का मांग पत्र जारी करना एवं विधि सम्मत न होते हुये भी वादी से राशि जमा करवाना के आधार पर उक्त मांग पत्र को अवैध घोषित किया जाकर जमा की गई राशि मय ब्याज के वापिस दिलवाने का निवेदन किया गया है तथा वर्तमान वाद कारण के आधार पर आवेदक ने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष भी प्रस्तुत की थी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार का उपलब्ध होने के आधार पर निरस्त कर दी गई थी। जिसके कारण आवेदक ने वैकल्पिक उपचार का उपयोग करते हुए वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदन के सर्मथन में कोई भी विधिक आधार या ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किए है और असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है जो इसी प्रकार स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है।

विशेष कथन :–

1. यह कि आवेदक ने जब अनावेदक के कार्यालय में Augmentation of Power Transformer from 5 MVA to 8 MVA at 33/11 KV Vallabh Nagar Sub-station of Vallabh Nagar, of City Division West Bhopal के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी स्वीकृति 5 प्रतिशत जमा योजना अंतर्गत Augmentation of Power Transformer from 5 MVA to 8 MVA at 33/11 KV Vallabh Nagar Sub-stationसे स्वीकार कर अनावेदक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकृति दी गई थीं तथा अनावेदक कंपनी द्वारा 04.04.2017 को स्टीमेंट स्वीकृत कर 39,62,517/– का पुनरीक्षित वर्क आर्डर जारी किया गया था। जिसे आवेदक ने शपथ पत्र के माध्यम से समस्त तथ्यों को स्वीकार कर निष्पादित किया था और पूर्ण रूप से सहमति दी थी जो आवेदक पर बंधनकारी है। जिसके आधार पर आवेदक के परिसर पर बाहरी विद्युतीकरण हेतु 5 एम.व्ही.ए. से 8 एम.व्ही.ए. करने हेतु सब स्टेशन के विकास चार्ज एवं सुपर विजन चार्ज हेतु 13,74,798 रूपये का डिमांड नोट दिया गया था। जो कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन रिवीजन फस्ट 2009 के आधार पर जारी किया गया है उक्त अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कण्डिका 4.1.3 की उप कण्डिका 3 जो कि माननीय फोरम के अवलोकनार्थ रिप्रोड्यूस की जा रही है।

(iii) The Supply shall be arranged through a separate Distribution Sub-stataion of adequate capacity. However, if combined load of the complex/colony is not more than 2000 KW,, charges @ Rs. 500 per KV shall be levied towards systems Development cost. Such Applicant (S) shall not be required to pay charges for installation of 33/11 KV Sub-station. If combined load of the complex/colony is more than 2000 kw, the applicant (S) is/are required to pay charges for installation of 33/11 kv Sub-station of required capacity towards system Development.

इस प्रकार आवेदक ने यह भी अपने भाग पर गलत निर्वचन किया है कि वह उक्त भुगतान हेतु उत्तरदायी नही है। जबकि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.3 जो निम्नानुसार प्रावधानित करती है। ''The cost of extension of upgradation of the system up to the point of supply for meeting demand of new consumers along with supply affording charges etc. shall be payable by the consumer'' उपरोक्त प्रावधान अनुसार कॉलोनी विकसित करने वालों को ही एक्सटेंशन की कास्ट अदा करनी होती है परंतु आवेदक द्वारा उक्त प्रावधान का गलत निर्वचन किया गया है कि रूपये 39,62,517/– सब स्टेशन के लिए प्राप्त किए गए है जो पूर्णतः गलत है परंतु जो राशि की मांग की गई वह कम्पनी द्वारा पूर्व से स्थापित सबस्टेशन मे ंही 5 एम.व्ही.ए. से 8 एम.व्ही.ए. भार विकसित करने के लिए Augmentation की राशि ही प्राप्त की गई है जो पूर्णतः उचित एवं सही है जिसके संबंध में आवेदक ने शपथ पत्र द्वारा अंडरटेकिंग भी दी है।

अतः माननीय फोरम से नम्र निवेदनद है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के प्रकाश में आवेदक का आवेदन विशेष हर्जे के साथ सव्यय निरस्त करते हुए अनावेदक को अनावश्यक

रूप से मुकदमें बाजी में लिप्त करने के लिए 20,000/– रूपये की प्रतिकार राशि भी अनावेदक कम्पनी का दिलाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें जो कि न्यायहित में उचित होगा।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 05.04.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमारे द्वारा सुरेन्द्र मानिक कॉलोनी के विद्युतीकरण हेतु 28.02.2015 को रूपये 10,000/– आवेदन फार्म के साथ म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. कार्यालय, विद्यानगर, भोपाल में जमा किये गये थें। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. कार्यालय द्वारा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना के लिये एक एस्टीमेट राशि, रूपये 13,74,798/–, ERP No. 210239का डिमाण्ड नोट दिया गया था, जिसमें System Developement Charges 6,84,000/– रूपये + 6,04,735/– रूपये 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज + 14% सेल्स टेक्स, 86,063/– दिया गया था।

इसके अतिरिक्त दिनांक 20.11.15 को एक ओर डिमाण्ड नोट राशि रूपये 44,20,725/–, ERP No. 210169का नोट दिया गया, जो कि 5 MVA to 8 MVA PTR, 100% full Deposit दिया गया।

हमारे द्वारा दिनांक 15.12.2015 को एक पत्र लिखा गया, जिसमें इस बात पर आपत्ति जताई गई कि दिनांक 20.11.15 को जो डिमाण्ट नोट राशि रूपये 44,20,725/– दिया गया हैं, वह अनुचित हैं, क्योंकि 2009 के एम.पी.आर.सी. रेग्युलेशन 2009 की कण्डिका 4.1.3 के अनुसार ''अगर 2000 किलोवॉट से अधिक लोड हैं, तो ही Augmentation Charges लिया जायें।'' जबकि हमारा स्वीकृत भार 1368 किलोवॉट हैं। इसी कण्डिका में यह भी स्पष्ट लिखा हैं कि 2000 किलोवॉट से कम भार पर रूपये 500/– प्रति किलोवॉट की दर से सिस्टम डेवलपमेण्ट चार्जेज लिये जाएंगे। विद्युत कंपनी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को हमारे पत्र के जवाब में पत्र क्रमांक उमप्र/शसंप/कार्य/4129, दिनांक 22.12.2015 के माध्यम से अवगत कराया गया कि हमें उक्त राशि जमा कराना अनिवार्य हैं। उक्त के संबंध में हमारे द्वारा लगातार पत्राचार किये जाते रहें किन्तु विद्युत कंपनी उक्त चार्जेज जमा कराने हेतु हम पर दबाव बनाती रहीं। जिस पर हमारे द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एक वाद क्रमांक WP 6344/ 2016 दायर किया गया। जिसका आदेश दिनांक 27.02.2017 को पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कानून के अनुसार हमको उचित मंच पर अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु लेख किया गया हैं।

चूँकि हमारा कॉलोनी का विकास कार्य देरी एवं बाधित होने के कारण हमारे द्वारा राशि रूपये 44,20,725/– विद्युत कंपनी के दबाव में जमा करने की स्वीकृति दे दी गई जिस पर कंपनी द्वारा बताया गया कि दोबारा एस्टीमेट बनेगा उसके अनुसार आपको राशि जमा कराना होगी, तदानुसार विद्युत कंपनी द्वारा उक्त कार्य का एस्टीमेट संशोधित कर राशि रूपये 39,62,517/–ERP No. 342616 दिनांक 30.03.2017, Augmentationकार्य का डिमाण्ड नोट जारी किया गया। जिसे हमारे द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट जमा कर दिया गया, जिसके प्रमाण स्वरूप हम जमा राशि की रसीद/चैक क्रमांक एवं दिनांक आगामी सुनवाई तिथि को माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

हमारा माननीय फोरम से यह निवेदन हैं कि जो हम से नियम विरूद्ध अण्डर प्रोटेस्ट जो राशि जमा कराई गई हैं, उसे हमें वापिस दिलाई जायें।

दिनांक 21त्र05.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित अनावेदक की ओर से श्रीमती अलका नामदेव, प्रबंधक, शहर संभाग, पश्चिम, भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक ने अनावेदक के कार्यालय में ''सुरेन्द्र माणिक'' कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का आवेदन, कंपनी की 5% जमा योजनान्तर्गत प्रस्तुत किया, जिसमें Augmentation of Power Transformer from 5 MVA to 8 MVA at 33/11 KV Vallabh Nagar Sub-stationहेतु आवेदक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकृति दी गई थीं। आवेदक की स्वीकृति उपरांत ही प्राक्कलन स्वीकृत किये गये। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन रिवीजन–1, 2009 की कण्डिका 4.1.3 की उप कण्डिका 3 एवं म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.3 के आधार पर ही प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत किया गया। प्राक्कलन में 5 MVAपावर ट्रांसफार्मर से 8 MVAपावर ट्रांसफार्मर के Augmentationकी राशि रूपये 39,62,517/– हैं। यह राशि सब स्टेशन हेतु प्राप्त नहीं की गई हैं। साथ ही आवेदक द्वारा Power Transformer Augmentationकरने की स्वीकृति/अण्डर टेकिंग शपथ पत्र के माध्यम से दी गई थीं।

आवेदक श्री विवेक मल्होत्रा द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन उपरांत जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, जिसे फोरम द्वारा स्वीकार किया गया एवं आवेदक को निर्देशित किया गया कि वे आगामी दिनांक को फोरम के समक्ष अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

फोरम द्वारा अनावेदक को अगली सुनवाई में उनके संभाग के अन्तर्गत आने वाले ऐसे प्रकरण, जिनमें Augmentation की आवश्यकता नहीं थीं एवं प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं, ऐसे 3–4 प्रकरणों के प्राक्कलन की प्रति फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें। आवेदक से Augmentation की राशि जमा कराये जाने हेतु किये गये पत्राचार एवं अनावेदक के उत्तर के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण में अनावेदक विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं विनिमय 2009 आर.बी.–31(1) वर्ष 2009 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता से बाह्य विद्युतीकरण हेतु आवश्यक विस्तार कार्य के अलावा Augmentation की राशि किस नियम के तहत वसूल की गई।

आवेदक को फोरम द्वारा यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा गया कि यदि नियम के अन्तर्गत Augmentation of Power Transformer आवश्यक नहीं था, तो फिर आपके द्वारा राशि क्यों जमा की गई ? फोरम के समक्ष आपके द्वारा किये गये कथनानुसार Augmentation की राशि को जमा नहीं करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा आपको दिनांक 06.10.2017 को स्टे दिया गया था, उसकी प्रति भी प्रस्तुत करें। साथ ही अनावेदक को भी यह निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत जवाब की प्रति प्रस्तुत करें।

दिनांक 14.06.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया अनावेदक द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान जो उत्तर दिया गया था, उसके विशेष कथन के चरण क्रमांक 1 में स्वयं अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया हैं कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन रिवीजन फर्स्ट 2009 विनियम(आर जी 31) की कण्डिका 4.1.3 में स्पष्ट उल्लेख हैं कि 2000 किलोवॉट से अधिक लोड पर Augmentation

चार्जेज उपभोक्ता से लिये जायेंगे। 2000 किलोवॉट से कम लोड पर 500/– रूपये प्रति किलो वॉट सिस्टम डेव्हलपमेण्ट चार्जेज लिया जायेगा। अनावेदक के उत्तर विशेष कथन चरण क्रमांक 2 में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.3 का उल्लेख जो किया गया हैं, वो अधूरा हैं। उसमें स्पष्ट लिखा गया हैं कि ''नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिये वितरण प्रसंवाही(distribution main) के विस्तार और/या तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्ता द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (supply affording charges) आदि के मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।'' इसलिये 2009 के विनिमय नियम के अनुसार ही हमसे चार्जेज लिये जा सकते हैं।

फोरम द्वारा चाहे गये दस्तावेजों के तारतम्य में कि जब यह चार्जेज देय नहीं थें, तो जमा क्यों किये गये, इस संबंध में हमारा निवेदन निम्नानुसार हैः–

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पिटीशन क्रमांक 6344/2016 में अंतरिम राहत दी गई थीं कि अगली सुनवाई तक राशि रूपये 4420725/– उपभोक्ता से जमा न कराई जावें और आगे की कार्यवाही की जावें। इस संबंध में हमारे द्वारा अनावेदक को पत्र लिखा गया एवं आदेश की प्रति भेजी गई, परन्तु अनावेदक द्वारा इसे स्वीकार न करते हुए सम्पूर्ण राशि जमा करने उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाने की जानकारी दी। म.प्र. उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ कि उपभोक्ता के पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था हैं, इसलिये वो वहॉ जाकर शिकायत करें। चूॅकि कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण होने की दिशा में था और हमें अपने ग्राहकों को मकान देन की जल्दी थीं, इसलिये हमारे द्वारा यह राशि जमा की जाकर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत की गई। यह कि साक्ष्य के रूप में एक प्रकरण, जिसमें विद्युत भार 1882 किलोवॉट स्वीकृत किया गया था और इनसे Augmentation चार्जेज नहीं लिया गया हैं।

अनावेदक की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन रिवीजन फर्स्ट 2009 विनियम(आर जी 31) को समझने में भूल की हैं। उक्त नियम 4.1.2 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हैं कि ''कॉलोनी और बिल्डिंग के लिये सप्लाई हेतु 2000 किलोवॉट से अधिक के विद्युत भार की मांग की जाती हैं तो उसका समस्त व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त प्रावधान आदेशात्मक हैं। चूॅकि आवेदक का विद्युत भार 1368 किलोवॉट था। इस कारण नियम 4.1.3 के उक्त नियम 3 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हैं कि यदि 2000 किलोवॉट से अधिक भार नहीं हैं तो उस स्थिति में 500/– रूपये प्रति किलोवॉट सिस्टम डेव्हलपमेण्ट चार्जेज लिये जावेंगे। वर्तमान आवेदक के प्रकरण में चूॅकि नया विद्युत भार कनेक्शन 1368 किलोवॉट का मांगा गया था, तो ऐसे प्रकरणों में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.3 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हैं कि नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के वितरण प्रसंवाही के विस्तार या उन्नयन की लागत का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जायेगा। वर्तमान शिकायत पत्र में आवेदक द्वारा 1368 किलोवॉट के लिये मांग किये जाने पर आवेदक को यह बताया गया था कि सब स्टेशन में पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता कम हैं, इसलिये तकनीकी रूप से कॉलोनी को विद्युत प्रदाय करने के लिये क्षमता वृद्धि हेतु राशि जमा कराई गई थीं, न कि सब स्टेशन बनाने हेतु चार्ज या राशि जमा कराई हैं और राशि जमा कराने से पूर्व आवेदक द्वारा

पूर्व में लिखित सहमति एवं साथ में शपथपत्र निष्पादित कर अपनी सहमति जताई थीं। तब अनावेदक द्वारा आवेदक से

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

नियम अनुसार प्राक्कलन स्वीकृत कर राशि जमा करने हेतु बैंक संज्ञापन जारी किया गया था। जब आवेदक का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था, तब आवेदक द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई थीं। आवेदक का प्राक्कलन दिनांक 16.11.2015 एवं 20.11.2015 को स्वीकृत किया गया था तथा आवेदक ने स्वीकृति स्वरूप शपथपत्र व सहमति दी थीं, जो माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं। उक्त सहमति के अनुसार आवेदक भारतीय संहिता अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार शासित होता हैं, जिसमें सहमति की परिभाषा दी गई हैं, उसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। इस प्रकार आवेदक ने स्वतंत्र सम्मति देकर राशि जमा कराई थीं। इसलिये अब कोई विवाद उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.16 का उल्लेख कर राशि 44,20,725/– पर रोक लगाने का उल्लेख किया हैं। उक्त स्थगन आदेश आगामी तिथि तक था। जिसमें विद्युत कनेक्शन के आवेदन लंबित रहने के दौरान मांग न किये जाने का उल्लेख था, परन्तु उक्त आदेश आगामी तिथि पर समाप्त हो गया था। तब आवेदक ने उक्त राशि 44,20,725/– रूपये पूर्ण संतुष्टि में बिना किसी अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराई थीं। इसलिये आवेदक को उक्त राशि पर विवाद करने का वर्तमान में वैधानिक अधिकार नहीं हैं।

आवेदक द्वारा दिनांक 15.12.2015 इस्टीमेट लोड 1368 किलोवॉट के स्वीकृत प्राक्कलन पर आपत्ति की गई थीं, जिसका उप महाप्रबंधक शहर संभाग, पश्चिम भोपाल द्वारा दिनांक 22.12.2015 को लिखित में उत्तर देते हुए यह बताया गया था कि आपके द्वारा चाहे गये पॉवर विद्युत कनेक्शन पर सब स्टेशन नहीं बनाया जा रहा हैं, बल्कि ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि कराई जा रही हैं। इसलिये नियम अनुसार Augmentation चार्जेज लिये जा रहें हैं, जो विधि अनुसार उचित हैं। आवेदक द्वारा ऊपर 1882 किलोवॉट का पॉवर विद्युत कनेक्शन पर Augmentation चार्जेज नहीं लिये जाने का उल्लेख किया गया हैं, उसके संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं कि उक्त उपभोक्ता से Augmentation चार्जेज इस लिये नहीं लिया गया था कि उक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता पर्याप्त थीं, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की जाना थीं, परन्तु अन्य उपभोक्ता जिनसे Augmentation चार्जेज लिया गया हैं, उक्त दस्तावेज फोरम के आदेशानुसार आज दिनांक को प्रस्तुत हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैंः–

1. गिरनार हिल्स कॉलोनी।
2. वेलेंसिया विलाज कॉलोनी।
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर कॉम्पलेक्स।
4. विनियम 2009 की प्रति एवं
5. म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की प्रति।

दिनांक 07.07.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक ने अपना विद्युत कार्य कराने के लिये सहमति पत्र, शपथ पत्र के साथ तथा एक पत्र इस बात का दिया था कि मेरे द्वारा पूर्व में

सहमति पत्र एवं शपथ पत्र, दे दिया है तथा मैं सम्पूर्ण खर्च जमा करने को तैयार हूॅ। उक्त दस्तावेज प्रकरण में साक्ष्य स्वरूप कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कर रहे है। आवेदक द्वारा पूर्ण

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

संतुष्ट होकर लिखित में सहमति पत्र दिया गया था। उक्त सहमति पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्यूलेशन 1902/एम.पी.आर.सी./2009 रिवीजन–1 की कंडिका 4.1.3 की उपकंडिका 3 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि चाह गया विद्युत लोड 2000 किलोवाट से कम है तो उस स्थिति में 500 रूपये प्रति किलोवाट सिस्टम चार्ज तथा Augmentation चार्ज लिया जावेगा। इस प्रकार आवेदक से नियमानुसार चार्जेस लिये गये है। चूकि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी वचन या स्वतंत्र सहमति विधि पूर्ण प्रतिफल के लिये दी जाती है तो वह पक्षकारो पर बाध्य होती है। इस कारण आवेदक द्वारा एक बार स्वतंत्र सहमति से जो राशिया जमा की गई है उस पर दावा करने का वैधानिक अधिकार आवेदक को नही है। इस कारण आवेदक का आवेदन पत्र विशेष हर्जे के साथ निरस्त करने योग्य है। कृपया निरस्त किया जाये।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक कम्पनी द्वारा हमारे द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्नयन/Augmentation देने की बात कही गई है। इसमे हमारा तर्क है, अगर सहमति भी दी गई है तो भी अनावेदक कम्पनी नियम विरूद्ध शुल्क लेने के हकदार नही है। चूकिं मध्य प्रदेश ने विद्युत प्रदाय के लिये सिर्फ अनावेदक कम्पनी ही है इसलिये मजबूरन वश हमारे द्वारा दबाव में शुल्क जमा किया गया था। जो कि नियम विरूद्ध था। जो नियम विरूद्ध राशि जमा कराई गई थी, उसे ब्याज सहित वापस दिलाई जाये।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा किये गये कथनों के अनुसार आवेदक मेसर्स गिरिजा कालोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा विकसित की जाने वाली सुरेन्द्र माणिक कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु एक आवेदन अनावेदक कंपनी के संबंधित कार्यालय में आवेदक द्वारा दिनांक 28.02.2015 को किया गया था। जिस पर अनावेदक कंपनी द्वारा आंतरिक कार्यालयीन औपचारिकताओं के पश्चात आवेदक के अनुसार आवेदक के प्रस्तावित विद्युतीकरण कार्य से संबंधित दो प्राक्कलनों को ई.आर.पी. सिस्टम में दिनांक 17.11.2015 को ई.आर.पी. नम्बर 210239 एवं 210169 से स्वीकृत कर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र वल्लभ नगर में स्थापित टांसफार्मर की 5 एम.व्ही.ए से 8 एम.व्ही.ए क्षमता वृद्धि कार्य के विरूद्ध राशि रू. 44,20,725/–एवं सिस्टम डेवलपमेंट चार्ज एवं सुपरवीजन चार्ज आदि के मद में राशि रू. 13,74,798/– जमा कराये जाने हेतु दिनांक 20.11.2015 को मांग पत्र जारी किये गये। जिस पर आवेदक द्वारा Executive Engineer (west) dn. Bhopal को अपने पत्र दिनांक 15.12.2015 के द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निम्नानुसार लेख किया गया :–

In this regard your kind attention is drawn towards MPERC regulation (Revised-1) 2009 for purpose of giving supply. As per regulation clause 4.1.3 (iii) "The supply shall be arranged through a separate distribution sub-station of adequate cappcity.

However if combined load of the complex/ colony is not more than 2000 kw, charges @ 500 per kw shall be levied towards system development cost. **Such Applicant(s) shall not be required to pay charges for installation of 33/11 KV sub-station.**."

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

In subject case the estimated load is 1368 KW only, thus we are not required to pay charges for installation/agumentation of 33/11 KV sub-station as per above said provision. Hence demand notes raised against ERP 210169 for Rs. 44,20,725/- should not be applicable on us. Hence we request you to amend the demand notes as per provisions of MPERC so that we can deposit the legitimate charges and get the work executed through A-Class contractor.

आवेदक के पत्र दिनांक 15.12.2015 के प्रत्योत्तर में अनावेदक द्वारा दिनांक 22.12. 2015 के पत्र द्वारा MPERC के रेग्युलेशन 2009 के सेक्शन 4.1.3 (iii) से सहमत होते हुये लेख किया गया कि ''MPERC Regulation (Revision-1) 2009 section 4.1 subsection 4.1.3 (iii) में निश्चित ही यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Combined load Complex/Colony का 2000 KW सेकम है तो आवेदक को 33/11 KV सबस्टेशन बनाने की राशि नही जमा करना होगी।'' ''किन्तु आपके द्वारा 33/11 KV सबस्टेशन का निर्माण नही किया जा रहा है'' एवं आपने न ही कोई भूमि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को प्रदान की गयी है और न ही कम्पनी के द्वारा 33/11 KV सबस्टेशन का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है वरन सबस्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता न होने के कारण पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करायी जा रही है, जिसकी स्वीकृति पूर्व में ही आपके द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त राशि जिसका आपको बैक संज्ञापन जारी किया गया है, अविलम्ब इस कार्यालय में जमा करते हुये रसीद उपलब्ध करावे।''

तत्पश्चात आवेदक द्वारा प्रबंधक संचालक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल को संबोधित पत्र दिनांक 19.01.2016 के द्वारा MPERC के रेग्युलेशन 2009 के सेक्शन 4.1.3 (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु लेख किया गया कि :–..... In our said letter we requested that our sanctioned load as per the approved estimate is 1368 KW. Hence as per provisions of MPERC Regulations we are supposed to deposit Rs.500/- per kw of sanctioned load as system development cost Rs. 13,74,798/- Further we requested that as our sanctioned load is less than 2000 KW, hence we are not required to pay installation/augmentation of 33/11 KV substation. It is quite surprising that on one hand they one treating us as consumer having sanctioned load of less than 2000 kw there by charging Rs. 500/- per kw as system development cost. on the other hand they are

demanding cost of augmentation of capacity of transformer from 5 MVA to 8 MVA at substation

पत्र में आगे प्रबंध संचालक से आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि '' Sir, in this regard it is submitted that deputy GM failed to cite any provision of MPERC Regulations under which the demand note against ERP no. 210169 for Rs. 44,20,725/- for

augmentation of transformer at substation has been raised on us, Sir, request you to please intervene in this matter and pass unecessary instruetions to deputy GM to with draw that demand note raised against ERP no. 210169 for Rs. 44,20,725/- for augmentation of transformerat the substation.

आवेदक द्वारा 5 MVA से 8 MVA ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि संबंधी राशि 44,20,725/– के मांग पत्र को वापस लिये जाने कं संबंध में कार्यवाही न किये जाने पर आवेदक की ओर से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय में रिटपिटिशन क्र. 6344/2016 दायर की गयी।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की रिटपिटिशन क्र. 6344/2016 में दिनांक 12.05.2016 निम्नानुसार Intrim Order पारित किया गया :–

Till next date of hearing no recovery shall be made from the petitioner in persuance of electricity bill Annexure P/1 amounting to Rs. 44,20,725/- . It is further directed that respondent may procced further with the pending applications submitted by the petitioner for electricity connection.

माननीय उच्च न्यायालय के Intrim Orderके आधार पर आवेदक द्वारा दिनांक 16.05. 2016 को अनावेदक के कार्यालय में सिस्टम डेवलपमेंट चार्ज एवं सुपरवीजन चार्ज की राशि रू.1374798/–जमा करने हेतु संपर्क किये जाने पर कार्यालय द्वारा ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कार्य के विरूद्ध राशि रू. 44,20,725/– जमा किये बिना सिस्टम डेवलपमेंट चार्ज की राशि जमा करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा घटनाक्रम का उल्लेख करते हुये दिनांक 25/05/2016 के पत्र से चीफ इंजीनियर भोपाल को संबोधित करते हुये निम्नानुसार लेख किया गयाः–

We request you to inquire into the matter & pass appropriate instructions to deposit the amount of Rs. 13,74,798/- against ERP no. 210239 towards system development charges, supervision charges etc and intimate us accordingly. It is further

relevant to submit here that some of residential units in our colony are ready for possessoin & external electrification is to be done immediately.

आवेदक द्वारा चीफ इंजीनियर भोपाल को लिखे उपरोक्त पत्र के उत्तर में अनावेदक की ओर से उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पश्चिम), भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1439 दिनांक 27.06.2016 आवेदक को सूचित किया गया कि आपको ज्ञात है कि आपके द्वारा आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्था मांगी गई थी –

1. आंतरिक विद्युतिकरण   2. ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.......

पेज – 13 प्र.क्र.बी.टी.–41

विषय के संदर्भ में आपको रू. 1374798/– राशि जमा कराया जाना आवश्यक है एवं बिन्दु क्रं. 02 के विषय में रू. 4420725/– राशि जमा कराया जाना आवश्यक है (उपरोक्त विद्युत प्रदाय संहिता 2013 नवीन विद्युत प्रदाय संहिता कंडिका क्रमांक 4.3)

उपरोक्त राशिया विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रावधानिक विद्युत प्रदाय संहिता 2013 क्र. 4.3 के नियमानुसार जब तक जमा नही की जाती है तब तक आपके द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही किया जाना संभव नही है क्योंकि आपके द्वारा आंतरिक विद्युतीकरण की राशि 1374798/– राशि जमा की जा रही है परंतु जबकि ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की राशि 44,20,725/– राशि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जमा नही की जा रही है परंतु उक्त राशि जमा कराया जाना आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायलय द्वारा रिटपिटिशन क्र. 6344/2016 में आदेश दिनांक 27/02/2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

as the petitioner has an alternate remedy of approaching Grievance Redessal consumers Forum, this court does not deem it to fit interfere into the writ petition. Accordingly, the writ petition is dismissed on the ground of availability of atternate remedy.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27/02/2017 के पश्चात आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 01/03/2017 के माध्यम से अन्य भुगतान राशि के चेक के साथ राशि रू. 4420725/– का चेक भी under Protest जमा किया गया। इस संबंध में आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष अपने कथन में बताया कि चूँकि हमारा कालोनी का विकास कार्य देरी एवं बाधित होने के कारण हमारे द्वारा राशि रू. 4420725/– विद्युत कंपनी के दबाव में जमा करने की स्वीकृति दे दी गई जिस पर कंपनी द्वारा बताया गया कि दोवारा एस्टीमेंट बनेगा उसके अनुसार आपकों राशि जमा कराना होगी तदानुसार विद्युत कंपनी द्वारा Augmentation कार्य का एस्टीमेंट संशोधित कर राशि रू. 3962517/– ई.आर.पी. नम्बर 342616 दिनांक 30/03/2017 का डिमांड नोट जारी किया गया। जिसे हमारे द्वारा अंडर प्रोटेस्ट जमा कर दिया गया।

तत्पश्चात आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उससे बाह्य विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 5 एम.व्ही.ए. से 8 एम.व्ही.ए. करने के मद में अनावेदक द्वारा राशि रू. 3962517/– विधि सम्मत न होते हुये भी जमा कराई गई राशि ब्याज सहित वापिस दिलवाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में फोरम के समक्ष सुनवाई में अनावेदक द्वारा दिनांक 21.05.2018 को कथन किया कि आवेदक ने अनावेदक के कार्यालय में ''सुरेन्द माणिक'' कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें Augmentation of Power Transformer 5 MVA to 8 MVA at 33/11 KV Vallabh Nagar Sub-Stationहेतु आवेदक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

स्वीकृति दी गई थी। आवेदक की स्वीकृति उपरांत ही प्राक्कलन स्वीकृत किये गये। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन (रिवीजन–1) 2009 की कंडिका 4.1.3 की उपकंडिका 3 एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.3 के आधार पर ही प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत किया गया। प्राक्कलन में 5 एम.व्ही.ए पावर ट्रांसफार्मर से 8 एम.व्ही.ए पावर ट्रांसफार्मर केAugmentationकी राशि रू. 3962517/– है। यह राशि सब–स्टेशन हेतु प्राप्त नही की गई है। साथ ही आवेदक द्वाराPower TransformerAugmentationकरने की स्वीकृति/अंडर टेकिंग शपथ पत्र के माध्यम से दी गई थी। अनावेदक द्वारा अपने लिखित कथन में रेग्युलेशन 2009 की कंडिका 4.1.3 की उपकंडिका (iii) भी प्रस्तुत की गयी। जिसमें स्पष्ट लेख किया गया कि '' Supply shall be arranged through a separate Distribution Sub-Station of adequate capacity. However if combined load of the complex colony is not more than 200 KW charges @ Rs. 500 per kw shall be levied towords system development cost such applicant(s) Shall not be required to pay charges for installation of 33/11 kv substation if combined load of the complex/colony is more than 2000 kw, the applicant (s) is/are required to pay charges for installation of 33/11 kv Sub-station of required capacity towords system Development.

अनावेदक द्वारा यह भी लिखित में कथन किया कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.3 के अनुसार '' the cost of extension or upgration of the system up to the point of supply for meeting demand of new consumers laong with supply affording charges etc. shall be payable by consumers.

फोरम द्वारा अनावेदक के उपरोक्त कथनों का परीक्षण किया गया एवं पाया कि for meeting demand of new consumers, the cost of extension of distribution mains and/or extension/upgration of the system up to the point of supply along with supply affording charges का भुगतान उपभोक्ता द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन

से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 मे किये गये उपबंधो के अनुसार किया जायेगा।

फोरम के मत में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.3 के अनुसार किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम 2009 (पुनरीक्षण–1) उपभोक्ताओं से, जहॉ जैसा लागू, हो प्रणाली विकास लागत (system development cost), 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रणाली विकास प्रभार (system development charges) तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply affording charges) की वसूली का तो प्रावधान है, किन्तु 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में स्थापित किसी पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की लागत राशि की वसूली का प्रावधान नही है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

इस प्रकार के विभिन्न कार्यो को करने के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्युलेशन (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के अध्याय–6 में दिये प्रावधानों में की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करना चाहिये रेग्युलेशन 2009 (पुनरीक्षण प्रथम) के अध्याय 6 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

6.1.1 (b) The following Charges collected under these Regulations shall be kept by the Licensee in a separate account. The Licensee shall also ensure that the funds to the extent they are allocated out of this separate account are used only for augmenting the existing Distribution/EHT System and/or creating new Distrbution/EHT System. This will be got verfied by the Statutory Auditors and compliance to this provision shall be included in the audit report on Annual Financial Statements.

(i) Supply Affording Charges in Regulation 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 and 4.3.2

(ii) Cost of Infrastructure/Electrification in Regulations 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2(a), 4.2.3(a), &(b), 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.2 and 4.6.1 (excluding supervision charges).

(C) The charges/cost recovered as allowed in abovesaid Sections of these Regulation shall be separately captured by the Licensees in their books of Accounts. These shall be construed as cost recovered for the Deposit Works and shall have the same accounting treatment as that of works carried out with consumer contrbutions.

फोरम के समक्ष विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई के दौरान कई बार ऐसे प्रकरण देखने में आये है जिनमें अनावेदक कंपनी के मैदानी कार्यालयों द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विभिन्न प्रभारों की वूसली संबंधी रेग्युलेशन (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 की उपरोक्त

कंडिकाओं में निर्दिष्ट अनुसार आवेदकों से राशि जमा करायी जाती है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है, उनका पृथक लेखा (Seperate account) संधारित नही जाता। जबकि कंडिण्का 6.1. 1 (b) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है,..... The Licensee shall also ensure that the funds to the extent they are allocated out of this seperate account are used only for augmenting the existing Distribution/EHT System and/or creating new Distribution /EHT System.... रेग्युलेशन की कंडिका 4.1.3 के अंतर्गत System development Cost के मद मेंजमा करायी जाने वाली राशि का भी इसी प्रकार account संधारित कर Augmentation कार्य कराये जाने का प्रावधान किया गया है। फिर पावर ट्रांसफार्मर के Augmentation हेतु अलग से राशि जमा करायी जाना फोरम के मत में विधि सम्मत नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का कुल स्वीकृत विद्युत भार 1368 कि.वा. है जो कि 2000 कि.वा. से कम है। अतः अनावेदक द्वारा आवेदक से supply affording charges के साथ रेग्युलेशन की कंडिका 4.1.3 (iii) के अनुसार रू. 500/– प्रति कि.वा. की दर सेSystem

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

development cost की वसूली फोरम द्वारा उचित एवं मान्य योग्य पायी गयी। परन्तु आवेदक को आवश्यक विद्युत प्रदाय की उचित व्यवस्था हेतु आवश्यक 5 एम.व्ही.ए पावर ट्रांसफार्मर की 8 एम.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि की लागत राशि की वसूली किया जाना रेग्युलेशन 2009 में कोई प्रावधान न होने के कारण मान्य योग्य नही पायी गयी। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण जिसमें उपभोक्ता का स्वीकृत भार 1882 कि.वा. था अनावेदक के कथनानुसार पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता न होने से क्षमता वृद्धि (Augmentation) Charges जमा नहीं कराये गये। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि कहॉ Augmantation Chargeलेना हैं या नहीं लेना हैं। ऐसा नियमों में प्रावधानित न होकर अनावेदक द्वारा अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में रखा हैं।

उभय पक्षों के विवाद का मुख्य बिन्दु माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2009{ आर जी 39 (i)} के प्रावधानों की अनावेदक एवं आवेदक द्वारा अपने–अपने पक्ष में व्याख्या करने से संबंधित हैं। इस संबंध में फोरम द्वारा माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2009 (पुनरीक्षण प्रथम) आर.जी. 31(I) में नई आवासीय कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के संबंध में अध्याय 4 की कण्डिका 4.1.3 एवं अध्याय 6 की कण्डिका 6.1.1. एवं 6.1.4 में उल्लेखित प्रावधानों का प्रश्नाधीन प्रकरण के संदर्भ में सूक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर निम्न तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुईः–

(क) विनियम 2009 की 4.1.3 (ii) के अनुसार कॉलोनी को विद्युत प्रदाय करने के लिये आवश्यक विस्तार कार्य की लागत, जिसमें उच्च दाब लाईन (10,000 के.व्ही.ए. से अधिक भार होने पर) 33/11 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र (2,000 किलोवॉट से अधिक भार होने पर)/वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिये वितरण मेन्स (Mains) के अन्तक खंबों तक समस्त लाईनें/केबल्स शामिल होंगे, आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

(ख) नई आवासीय कॉलोनी को विद्युत प्रदाय व्यवस्था एक पर्याप्त क्षमता के पृथक वितरण उपकेन्द्र के माध्यम से की जावेगी और आवेदक को इसकी संस्थापना हेतु प्रभारों का भुगतान करना होगा, तथापित कॉलोनी का संयुक्त भार 2000 किलोवॉट से अधिक नहीं होने पर आवेदक द्वारा प्रणाली विकास लागत (System Development Cost) रूपये 500/– प्रति किलोवॉट की दर से देय होगा और ऐसे आवेदकों को 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रभारों के भुगतान नहीं करने होंगे।

(ग) विनियम 2009 (पुनरीक्षण) आर जी 2009{ आर जी 39 (i)} के अध्याय 6 की कण्डिका 6.1.1. (स) के अनुसार विनियम 4.1.3 (पर्यवेक्षण प्रभारों को छोड़कर) के अन्तर्गत वसूल किये गये प्रभारों/लागत को निक्षेप कार्यों (Deposit Work) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में किया जायेगा तथा इनका उपयोग लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त अंशदान के माध्यम से संपादित कार्यों के लिये किया जाता हैं।

(घ) विनियम 2009 (पुनरीक्षण प्रथम) की कण्डिका 4.1.3 (ii) एवं (iii) के अनुसार वसूले गये प्रभारों, जिनका उल्लेख अध्याय 6 की कण्डिका 6.1.1 के (i) एवं (ii) में किया गया हैं, का उपयोग

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अनावेदक वितरण लाईसेंसी द्वारा वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के आवर्धन और या नवीन वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के सृजन (Only for augmenting the existing distribution/EHT system and/or creating new distribution/EHT system) में किया जायेगा।

(ड़) कॉलोनी के विद्युत आपूर्ति के लिये अध्याय 6 की कण्डिका 6.1.4.1 के अनुसार कण्डिका 4.1. 3 (ii) एवं (iii) में वर्णित एवं नियत प्रभारों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का प्रभार आवेदक से वसूल नहीं किया जाना हैं और इन प्रभारों में कोई परिवर्तन माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के किसी भी आदेश को अप्रवृत्त (Null and void) माना जायेगा।

(च) विनियम 2009 (पुनरीक्षण प्रथम) के अध्याय 6 की कण्डिका 6.1.4.2 के अनुसार इन विनियम 2009 के उपबंध/प्रावधान उपभोक्ता को लागू होंगे, भले ही इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता तथा अन्य विनियमों (Regulations) में कुछ भी निहित क्यों न हों।

उक्तानुसार तथ्यात्मक जानकारी से फोरम को प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुएः–

1. आवेदक द्वारा उसकी कॉलोनी को विद्युत प्रदाय के लिये प्रणाली आवर्धन कार्यों को छोड़कर आवश्यक विस्तार कार्यों की लागत ही अनिवार्य रूप से वहन किया जाना हैं।

2. आवेदक की कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, अनावेदक द्वारा एक समुचित क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के माध्यम से की जाना हैं, जिसकी संस्थापना के प्रभारों का भुगतान आवेदक द्वारा ही किया जाना हैं किन्तु, कॉलोनी का संयुक्त भार 2000 किलोवॉट से

कम होने पर आवेदक की इस उपकेन्द्र संस्थापना हेतु प्रभारों का भुगतान नहीं करना हैं तथा केवल प्रणाली विकास लागत (Supply Development Cost) रूपये 500/– प्रति किलोवॉट की दर से कुल संयुक्त भार के लिये प्रभारों का भुगतान किया जाना हैं अर्थात प्रणाली विकास लागत हेतु प्राप्त प्रभारों की प्राप्ति के बाद 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की संस्थापना के प्रभार अनावेदक द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं। किसी तकनीकी अथवा वित्तीय कारण से यदि अनावेदक पृथक 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की संस्थापना न करते हुए विद्यमान पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि (आवर्धन) का निर्णय लेता हैं तो इस कार्य के प्रभारों को भी अनावेदक को वहन करना होगा और वह इन प्रभारों को आवेदक से प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हैं।

3. चूँकि विनियम 2009 (Regulations 2009 RG 31(I)) की कण्डिका 6.1.1 (स) के अनुसार प्रणाली विकास लागत रूपये 500/– प्रति किलोवॉट की दर से आवेदक से प्राप्त प्रभारों को निक्षेप कार्यों (Deposit Work) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाना हैं। अतः कॉलोनी के विद्युतीकरण/विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्रभारों के अलावा आवश्यक निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के लिये आवेदक द्वारा कोई अन्य प्रभार देय नहीं हैं अर्थात अनावेदक विद्यमान पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि (आवर्धन) का कार्य, आवेदक के व्यय पर पूर्ण जमा योजना में स्वीकृत नहीं कर सकता है और न ही आवेदक को ऐसे कार्यों के प्रभारों का भुगतान किये जाने हेतु कोई मांगपत्र जारी कर सकता हैं।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक की ओर उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.07.2018 को अपने पक्ष समर्थन में आवेदक द्वारा दिये गये सहमति पत्र का उल्लेख करते हुये फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक ने अपने विद्युत कार्य कराने के लिये सहमति पत्र, शपथ पत्र, के साथ एक पत्र इस बात का दिया कि मैं सम्पूर्ण खर्च जमा करने को तैयार हूँ। उक्त दस्तावेज प्रकरण में साक्ष्य स्वरूप कंपनी की ओर से प्रस्तुत कर रहे है। आवेदक द्वारा पूर्ण संतुष्ट होकर लिखित में सहमति पत्र दिया गया था। चूकिं भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी वचन या स्वतंत्र सहमति विधि पूर्ण प्रतिफल के लिये दी जाती है तो वह पक्षकारों पर बाध्य होती है। इस कारण आवेदक द्वारा एक बार स्वतंत्र सहमति से जो राशियां जमा की गई है उस पर दावा करने का वैधानिक अधिकार आवेदक को नही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की संबंधित धारा से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार ''सम्मति की परिभाषा'' में ''दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुये तब कहे जाते है, जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत है।'' एवं धारा 14 '' स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा–सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह :–

(1) न तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो;

(2) न तो धारा 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो;

सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह प्रपीड़न, असम्यक, असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती तो न दी जाती।

एंव धारा 16 '' असम्यक असर'' की परिभाषा (1) संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहॉ कि पक्षकारो के बीच विद्यमान सम्बंध ऐसे है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अनऋजु फायदा अभि प्राप्त करने के लिये करता है।

प्रकरण में अनावेदक एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा विद्युतीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर अनावेदक द्वारा आवेदक को System development cost एवंपावर ट्रांसफार्मर के AugmentationChargesके मद मेंजमा करने हेतु दो अलग–अलग मांग पत्र जारी किये गये। जिस पर पावर ट्रांसफार्मर के Augmentation Chargesकी राशि जमा कराये जाने पर आवेदक द्वारा तत्काल आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा मननीय म.प्र. उच्च न्यायालय में रिटपिटिशन भी दायर की गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा Augmentationकी राशि जमा करने की सहमति उसके विद्युतीकरण कार्य में विलंब होने तथा बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण दबाव वश प्राप्त की गयी प्रतीत होती है। जो कि स्वंतंत्र सम्मति न होकर असम्यक असर से दी गयी सम्मति ही मानी जायेगी। क्योकिं यहॉ अनावेदक वितरण कंपनी विद्युत के प्रदाय हेतु

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

आवेदक को अधिशासित करने की स्थिति में है। अतः आवेदक द्वारा, अनावेदक को दी गयी सम्मति '' स्वतंत्र सम्मति'' के रूपमें फोरम द्वारा अमान्य की जाकर 'असम्यक असर' से दी गयी सहमति मान्य की जाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से बिना किसी प्रावधान के जमा करायी गयी पावर ट्रांसफार्मर Augmentationकी राशि रूपये 3962517/– आवेदक को वापिस की जाये। साथ ही रेग्युलेशन (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 की कंडिका 6.1.1 (b) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मैदानी कार्यालयों में प्रक्रिया बनायी जाना सुनिश्चित करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः आपको निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर,
श्याम नगर, भिण्ड रोड़ दीनदयाल नगर,
ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 19.07.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–10 / 2018 दिनॉक 19.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 19.07.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–10 / 2018 दिनांक 19.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.10/2018

19.04.2018

श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, (आवेदक)
श्याम नगर, भिण्ड रोड़, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–19.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/10 दिनॉक 19.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 11.05.201807.06.2018 एवं12.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरा एक घरेलू विद्युत संयोजन है, जिसका सर्विस क्रमांक 8637792 है। मुझे आंकलित खपत का विद्युत बिल माह दिसम्बर 2017 से दिया जा रहा है। जबकि प्रार्थी के यहॉ स्वीकृत भार 1000 वाट है। फिर भी कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से विद्युत बिल जारी किया है। इस कारण आपसे निवेदह है कि मेरे विद्युत बिल में आंकलित खपत को हटाकर मुझे संशोधन बिल दिया जाये, जिससे में विद्युत बिल का भुगतान कर सकूॅ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपभोक्ता श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, श्याम नगर भिण्ड रोड़, डी.डी. नगर शिकायत हेतु प्रकरण क्रमांक जी.टी./10 दिनांक 19.04.2018 स.क्रं. 89–7–8637792000 के विद्युत बिल के संबंध में शिकायत दर्ज की गई।

उपभोक्ता के विद्युत मीटर में माह दिसम्बर 2017 में वर्तमान वाचन 13980–9956 पूर्व वाचन माह दिसम्बर 2015 कुल खपत 4024 यूनिट को 24 माह में विभाजित कर 4024÷24 = 167.66 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर माह जनवरी 2016 से माह दिसम्बर 2017 तक संशोधित कर राशि रू. 31776/– की क्रेडिट सी.सी.एण्ड बी. सिस्टम में कर दी गई है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 8637792000 श्याम नगर भिण्ड रोड़, ग्वालियर में स्थित है, के विद्युत देयक अनावेदक द्वारा मीटर रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के दिये जाने से व्यथित होकर यह आवेदन मीटर में दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक द्वारा आवेदक को माह दिसम्बर बिल्ड़ जनवरी 2016 से नवम्बर बिल्ड़ दिसम्बर 2017 तक की अवधि में आवेदक को मीटर रीडिंग न लेकर अधिक खपत के बिल जारी किये गये। अतः 20 दिसम्बर 2015 मीटर में दर्ज रीडिंग 9956 तथा 29 नवम्बर 2017 को मीटर में दर्ज रीडिंग 19980 कुल 24 माह की विद्युत खपत 13980–9956=4024 यूनिट यूनिट को बराबर 24 माह में विभाजित कर उक्त अवधि में आवेदक को जारी आंकलित खपत के विद्युत बिल को निरस्त कर 168 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर आवेदक के विद्युत बिलों को संशोधित करने के उपरांत राशि रूपये 31776/– की क्रेडिट/समायोजन सी.सी. एण्ड बी. सिस्टम के द्वारा आवेदक को दी गई है। अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
श्रीमति बानो बेगम,
उपयोगकर्ता श्रीमति ज्योति गुप्ता,
48, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर,
ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 19.07.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–12 / 2018 दिनॉक 19.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 19.07.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–12 / 2018 दिनांक 19.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.12/2018

19.04.2018

श्रीमति बानो बेगम, (आवेदक)
उपयोगकर्ता श्रीमति ज्योति गुप्ता,
48, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर,
ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–19.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/12 दिनॉक 19.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 11.05.201807.06.2018 एवं12.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेने सन् 2014 में एस–16, सिटीबजार थाटीपुर में बानो बेगम से दुकान क्रय की थी दुकान क्रय करने की तारीख तक का बिजली का बिल जमा करा दिया था एवं कोई राशि शेष नही थी। दुकान क्रय दिनांक से आज तक बंद है। उसमें कोई उपयोग नही किया है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः प्रार्थी को उपयोग करने के लिये जरूरत पडने पर कनेक्शन के लिये आवेदन किया तो विभाग द्वारा राशि रू. 23965/– का भुगतान करने को कहा गया। प्रार्थी की दुकान में उसी समय से आज तक कनेक्शन नही है ना ही मीटर था प्रार्थी कई बार बिजली विभाग के पास गया लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को बिल माफ कर राहत प्रदान की जावे एवं कनेक्शन दिलवाने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्रीमति बानो बेगम, एस– 16 सिटी बाजार थाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 7232392000 में उपभोक्ता द्वारा दुकान का मीटर बंद होने पर आंकलित खपत का बिल उपयोग न होने के बाद भी बिल दिया जाना बावत् शिकायत की गई थी।

प्रकरण में निराकरण हेतु दिनांक 05.05.2018 को उपभोक्ता परिसर का निरीक्षण करने पर परिसर खाली पाया गया एवं कोई लोड नही पाया गया। प्रकरण में निराकरण हेतु माह 08/2015 से 09/2017 तक लगी आंकलित खपत को हटाया जाकर टैरिफ मिनिमम 2 किलोवॉट के अनुरूप लिया जाकर देयक सुधार दिया गया है इस बावत् उपभोक्ता को 3318/– का क्रेडिट दिया गया है एवं इसके पूर्व भी उपभोक्ता को 25.01.2017 में बिल सुधारने के फलस्वरूप रूपये 1409/– का क्रेडिट प्रकरण में दिया गया था। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका ने वर्ष 2014 में एस–16 सिटीबाजार थाटीपुर ग्वालियर में एक दुकान क्रय की गई। जिसका सर्विस क्रमांक 2424903–33–9–7232392000 है। यह दुकान खरीदने से पूर्व इसके विद्युत बिलो पर बकाया राशि 0 था। अतः वर्ष 2014 से आज दिनांक तक उक्त दुकान पर विद्युत का उपयोग नही किया गया। उसके बावजूद आवेदिका को आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक अनावेदक द्वारा जारी किये गये है। अतः विद्युत का उपयोग न होने के बावजूद लगाई गई आंकलित खपत को हाटकर नियम अनुसार विद्युत खपत न होने पर मिनिमम राशि के विद्युत देयक जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदिका द्वारा माह अगस्त 2014 में रूपये 13820/– का भुगतान किया गया था। अनावेदक द्वारा आवेदिका को माह अगस्त 2015 से सितम्बर 2017 तक की अवधि में लगाई गई आंकलित खपत को हाटकर नियमानुसार टैरिफ मिनिमम तत्समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार लेकर आवेदिका के विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 3318/– की क्रेडिट/समायोजन किया यगा तथा इसके पूर्व आवेदिका को 25.01.2017 के बिल में सुधार करने के फलस्वरूप राशि रूपये 1409/– की क्रेडिट/समायोजन दिया गया है। इस प्रकार कुल

निरंतर.....

3318+1409=4727 की क्रेडिट/समायोजन किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदिका की शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही विधि एवं न्याय संगत पाई गई।

अतः आवेदिका कि शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
श्री शशि कांत मिश्रा, पुत्र स्व. श्री जयनारयण मिश्रा,
7, गगन तारा बिल्डिंग, पेस्टल सागर रोड नं. 2, ,
अमर महल, तिलक नगर, ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 23.07.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–13 / 2018 दिनॉक 19.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 23.07.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–13 / 2018 दिनांक 19.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.13/2018

19.04.2018

श्री शशि कांत मिश्रा, पुत्र स्व. श्री जयनारयण मिश्रा, (आवेदक)
7, गगन तारा बिल्डिंग, पेस्टल सागर रोड नं. 2, ,
अमर महल, तिलक नगर, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/13 दिनॉक 19.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 11.05.201807.06.2018 एवं12.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मैं शशिकांत मिश्रा पुत्र स्व. श्री जयनारायण मिश्रा मुम्बई में रहता हूँ। मेरा मकान नं. 22, नहेरू कॉलोनी, थाटीपुर में है। जिसका विद्युत बिल मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री जय नारायण मिश्रा के नाम पर आता है। मकान में दो किरायेदार रहते थे, जिन्होने बिजली का बिल जमा नही किया और बिजली का बिल बढ़ते–बढ़ते रूपये 65,000/– तक पहुँच गया। विद्युत विभाग ने भी इतना बिल बढ़ने तक कोई कार्यवाही नही की। फरवरी 2017 में किरायेदार बिजली का बिल पानी का बिल और बकाया किराया लेकर मकान खाली कर भाग गये। फरवरी 2017 में विद्युत विभाग मीटर निकालकर ले गये। सूचना मिलने पर जब मै ग्वालियर आया

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

तो मुझे अप्रैल 2017 का लगभग रूपये 65,000/– का विद्युत बिल मिला। जब मैं इस बिल को लेकर थाटीपुर जोन में पहुंचा तो उन्होने इसे संशोधित कर रूपये 58,000/– का कर दिया। मैं इतना पैसा एक साथ जमा करपाने में मै असमर्थ था और उसी समय किसी आवश्यक कार्यवश मुझे वापिस मुम्बई लौटना पड़ा और मैं यह बिल जमा नही कर पाया। अब आज की दिनांक में मुझे रूपये 1,01523/– का बिल जिसकी अंतिम देय तारीख 01.03. 2018 है का मोबाईल पर एस.एम.एस आया है। मेरे पास अप्रैल 2017 के बाद का कोई भी बिल मौजूद नही है। चूकिं मीटर निकल जाने के कारण मेरा घर तब से ही खाली पड़ा है इसलिये मै इस बिल का निराकरण जल्द से जल्द कराना चाहता हूॅ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपा कर इस प्रकरण का जल्द से जल्द समाधान करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री शशिकांत मिश्रा/स्व. श्री जय नारायण मिश्रा मकान नं. 22 नेहरू कालोनी थाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 1640403000 में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई है कि किरायेदारो द्वारा पैसा जमा किया गया और विभाग ने जो कार्यवाही फरवरी, मार्च 2017 में की गई यदि इससे पहले कर दी जाती तो इतना बिल नही होता अतः समस्त पैनल्टी खत्म कर बिल को 03 किस्तों में जमा कराने की इजाजत हेतु शिकायत दर्ज कराई है।

प्रकरण में निराकरण हेतु दिनांक 08.05.2018 को कनिष्ठ यंत्री द्वारा परिसर चैक किये जाने पर मीटर मौके पर नही पाया गया एवं बकाया राशि पर मीटर निकाला गया था।

प्रकरण में निराकरण हेतु उपभोक्ता के लोड के आधार पर आई औसत खपत 214 यूनिट प्रतिमाह का आधार लिया जाकर देयक को संशोधित किया गया है एवं प्रकरण में रूपये 18465/– की क्रेडट जारी की गई है। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

श्री जे.एन मिश्रा के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424903–33–21–6140403000 नेहरू कालोनी ग्वालियर में स्थित है जिसका उपयोग श्री शशिकांत मिश्रा पुत्र श्री जय नारायण मिश्रा द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आवेदक द्वारा विद्युत बिलों कि बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण माह फरवरी 2017 में उसके विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर या विद्युत संयोजन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर उसका विद्युत मीटर अनावेदक द्वारा निकाल लिया गया था। माह अप्रैल 2017 में आवेदक को लगभग रूपये 65000/– का विद्युत बिल दिया गया था। जिसे आवेदक द्वारा अनावेदक को एक आवेदन देकर संशोधित करने का निवेदन किया था। संशोधन उपरांत उसे राशि रूपये

58790/– का बिल दिया गया था। अतः इतनी राशि का एक साथ भुगतान करने में आवेदक असर्मथ था और उसी समय किसी आवश्यक कार्यवश बम्बई जाना पड़ा इसलिये उसके द्वारा उस समय भुगतान नही किया जा सका। दिनांक 01.03.2018 को आवेदक के मोबाईल पर एक एसएमएस द्वारा 01.03.2018 का विद्युत बिल 1,01032/– रूपये का बिल दिये जाने की सूचना दी गई। माह अप्रैल 2017 के बाद उसे कोई भी बिल नही दिया गया। चूकिं आवेदक का विद्युत मीटर निकल जाने के कारण मीटर निकल जाने की दिनांक से ही परिसर खाली पड़ा है। अतः उसके मीटर निकल जाने के बाद एवं मीटर लगे रहने के पूर्व के माहों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर संशोधित विद्युत देयक आवेदक को दिये जावे। ताकि वह उनका भुगतान कर सके।

अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण दिनांक 08.05.2018 को किया गया परिसर निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परिसर में विद्युत मीटर नही पाया गया जो विद्युत बकाया राशि होने के कारण निकाल लिया गया था। आवेदक के परिसर में सयोजित विद्युत भार 890 वाट पाया गया। परिसर में एक महिला मिली उनके द्वारा उनका नाम नही बताया गया। परिसर पर एक परिवार निवास करता पाया।

प्रकरण में प्रस्तुत आफिस नोट के अनुसार अनावेदक ने आवेदक का विद्युत मीटर बकाया राशि पर विद्युत मीटर निकाला जाना स्वीकार किया गया एवं मीटर निकाले जाने के उपरांत भी आवेदक को आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये जाना स्वीकार किया है। मीटर रीडिंग बुक के अनुसार आवेदक का विद्युत मीटर मार्च 2017 के पश्चात निकाला गया है। जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से होती है।

अनावेदक द्वारा आवेदक को माह विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर आवेदक के परिसर में पाये गये लोड 890 वाट के अनुसार विद्युत खपत 214 यूनिट प्रतिमाह लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 18465/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। इसके पूर्व माह जून 2017 से अगस्त 2017 तक के विद्युत देयको में लगी आंकलित खपत हटाकर माह सितम्बर 2017 के विद्युत देयक में रूपये 33000/– क्रेडिट आवेदक को दी गई है। इसी प्रकार माह जून 2015 से मई 2016 तक के विद्युत देयक में लगाई आंकलित खपत को हटाकर विद्युत देयक संशोधन करने के उपरांत रूपये 13989/– की क्रेडिट समायोजन कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचना में यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत बिलों में अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक की अवधि में उपभोक्ता के परिसर में पाये गये संयोजित विद्युत भार 890 वाट के अनुसार एल.डी.एच.एफ फॉरमूले से विद्युत खपत 86 यूनिट प्रतिमाह खपत लेनी चाहिये थी।

फोरम का निर्णय :–

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि माह अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक की अवधि मं आंकलित खपत को हटाकर अनावेदक द्वारा लोड के अनुसार खपत 214 यूनिट

निरंतर.....

लेकर बिलो पर किये गये संशोधन को नियमानुसार नही पाये जाने के कारण फोरम निरस्त करता है तथा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. माह अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक के विद्युत देयकों में 86 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित कर भुगतान योग्य राशि का संशोधित करने के उपरांत दी जाने वाली क्रेडिट में से पूर्व में दी जा चुकी क्रेडिट रूपये 18465/– को कम कर भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी करे।

2. माह जून 2017 से अगस्त 2017 तक के विद्युत बिलों में लगी आंकलित खपत हटाकर संशोधन उपरांत राशि रू. 33203/– की दी गई क्रेडिट समायोजन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से रिकन्साईल होना नही पाया गया।

अतः इस राशि को पुनः चेक कर तथा रिकन्साईल कर उपरोक्तानुसार संशोधन उपरांत आवेदक को वर्तमान मे भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी करे।

आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः आपको निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कोक सिंह,
ग्राम व पोस्ट थरेठ,
जिला दतिया।(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 23.07.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–37 / 2018 दिनॉक 12.06.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 23.07.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., दतिया(म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–37 / 2018 दिनांक 12.06.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.37/2018

12.06.2018

श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कोक सिंह, (आवेदक)
ग्राम व पोस्ट थरेठ,
जिला दतिया।(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग, (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., दतिया।
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/37 दिनॉक 13.06.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी का एक 5 एच.पी. कृषि सिंचाई पम्प का थ्री फेस विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस क्रमांक 39446013136 है। जो दतिया संभाग (सं./सं.) के अंतर्गत थरेट विद्युत वितरण केन्द्र में है। इस कनेक्शन पर काफी समय से दो तार आ रहे है। जिससे प्रार्थी थ्री फेज कनेक्शन का इस्तेमाल नही कर पा रहा है। फलस्वरूप प्रार्थी की विद्युत मोटरें फुक रही है एवं सिंचाई न होने से फसले बरबाद हो रही है इसके समाधान (थ्री फेज विद्युत सप्लाई) हेतु अनेक बार प्रार्थी द्वारा शिकायत भी कर चुका है। किन्तु उसका काई समाधान नही किया गया एवं दिनांक 12.09.2015 के तारम्य में अनुरोध है कि उस वक्त ट्रांन्सफार्मर उठा लिये जाने एवं

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की अवधि तक विद्युत प्रवाह बिल्कुल समाप्त हो जाने की स्थिती में ही विद्युत बिलिंग की गई जो कि अनुचित होकर निरस्त होने योग्य है। जिसकी क्रेडिट प्रार्थी के बिल में लगाये जाने एवं प्रार्थी का थ्री फेज विद्युत तत्काल बहाल करवाये जाने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का प्रकरण उनके पंप कनेक्शन पर थ्री फेस कनेक्शन उपलब्ध न होने से संबंधित लाईनमेन से दूरभाष पर चर्चा करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक को थ्री फेस सप्लाई पास ही स्थित किसी अन्य ट्रांसफार्मर से शीघ्र ही चालू कर दी जायेगी। जिस पर आवेदक द्वारा भी अपनी सहमति प्रकट की है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 12.07.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मेरा 5 एच.पी. कृषि सिंचाई का पम्प कनेक्शन जिसका कनेक्शन क्रमांक 39446013136, ग्राम थरेट में है, जिस पर थ्री फेस लाईन नही है एवं केवल 2 तार ही उपलब्ध है। जिसके कारण हमारी मोटर नही चल पाती है एवं हमें कृषि कार्य में परेशानी होती है एवं करण्ट लगने का भी डर रहता है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि हमारे उक्त कृषि पम्प कनेक्शन पर थ्री फेस विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने हेतु वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित करने कष्ट करें। यदि श्रीमान कनिष्ठ यंत्री महोदय चाहे एवं वे हमारा थ्री फेस कनेक्शन थाने वाली डी.पी से करवा देते है तो हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा, जिससे कनेक्शन करवाने हेतु कनिष्ठ यंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है। कनिष्ठ यंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन से मैं सहमत हूँ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक का प्रकरण उनके पंप कनेक्शन पर थ्री फेस कनेक्शन उपलब्ध न होने से संबंधित लाईनमेन से दूरभाष पर चर्चा करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक को थ्री फेस सप्लाई पास ही स्थित किसी अन्य ट्रांसफार्मर से शीघ्र ही चालू कर दी जायेगी। जिस पर आवेदक द्वारा भी अपनी सहमति प्रकट की है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा करने के उपरांत यहा पाया गया गया कि आवेदक श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कोक सिंह के नाम से ग्राम व पोस्ट थरेट जिला दतिया (म.प्र.) एक 5 एच.पी. कृषि

सिचाई पम्प का थ्री फेस विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस क्रमांक 39446013136 है। जिसकी एल.टी. लाईन में केवल दो तार ही उपलब्ध है जिसके कारण उपभोक्ता का कृषि पम्प चालू नही हो पा रहा है। जिसके कारण आवेदक अपने खेत में सिचाई नही कर पा रहा है। इसलिये आवेदक ने यहा आवेदन अपने कृषि पम्प हेतु एल.टी. लाईन में चार तार डालने और चार तार डालकर उसका विद्युत पम्प चालू करवाने हेतु यह आवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक द्वारा दिनांक 12.07.2018 को फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक को उसके कृषि पम्प के विद्युत कनेक्शन पर थ्री फेज विद्युत प्रदाय उपलब्ध न होने के कारण उसका पम्प नही चल पा रहा है। अतः आवेदक को अन्य ट्रांसफार्मर से उसके कृषि पम्प पर थ्री फेज विद्युत सप्लाई उपलब्ध करा दिया जायेगा। फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया। आवेदक ने इस पर सहमति प्रकट करते हुये फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के निराकरण पर संतुष्टि प्रकट की। अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक को निदेर्शित किया जाता है कि प्रकरण में पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदक की 5 एच.पी. कृषि सिचाई पम्प का थ्री फेज विद्युत कनेक्शन चालू कर एक प्रति फोरम कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावे।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,
मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीज प्रोपा.,
श्री दयाल दास सुखीजा,
म.नं. 71, रतन कॉलोनी ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 18.07.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–143 / 2018 दिनॉक 28.03.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 18.07.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, (सं. / सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–143 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18.07.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.143/2018

28.03.2018

मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीज प्रोपा., (आवेदक)
श्री दयाल दास सुखीजा,
म.नं. 71, रतन कॉलोनी ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग, (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–18.07.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/143 दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.04.2018, 10.05.2018, 07.06.2018, 12.07.2018 एवं 12.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रत्येक वर्ष 2003 –05 में जो ऑडिट रिकवरी निकाली गई है, वह बिल में दर्शाई गई है। हमारे द्वारा प्रत्येक माह विद्युत बिलों की राशि का भुगतान नियत समय में किया जाता रहा है

   यह कि अनावेदक द्वारा दिनांक 30.04.2011 को पत्र क्रमांक कापयं/संसं/2011/548, दिनांक 30.04.2011 द्वारा राशि रूपये 35454/– की राशि ऑडिट रिकवरी के रूप में वर्ष 2003–05 के मध्य की है, को जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

यह कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19 के अनुसार ''किसी उपभोक्ता से देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली योग्य नही होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नही करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शायी न जाती रहें।''

उक्त राशि की वसूली हेतु हमें लगभग 6 वर्ष बाद नोटिस जारी किया गया है, जो कि उक्त कण्डिका के अनुसार अवैध है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि वर्ष 2003–05 के मध्य की ऑडिट रिकवरी के रूप में निकाली गई राशि रूपये 35454/– को निरस्त करने हेतु अनावेदक कम्पनी को निर्देश देने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीज बरई वितरण केन्द्र पर अंकक्षेण वर्ष 2003–05 के पैरा क्रमांक 2,4,8 एवं 10 के अंतर्गत ऑडिट रिकवरी रू.35154/– के संबंध में चाही गई बिंदुवार जानकारी निम्न प्रकार है :–

1. बरई वितरण केन्द्र के वर्ष 2003–05 की ऑडिट जॉच के दौरान औद्योगिक संयोग क्रमांक 394508–90–16–39354 के संबंध में मेसर्स दयाल इंड्रस्टीज पर ऑडिट रिकवरी निकाली गई थी जिसका पेरावाइज विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	पैरा क्रमांक	विवरण	अवधि	ऑडिट द्वारा वसूली योग्य दर्शाई गई राशि
1	02	Less billing of meter hire charges	02/05 से 09/05	रू. 2716/–
2	04	Less billing of meter Stop/ Diffective period billing	07/05 से 09/05	रू.16,729/–
3	08	Less billing of L.T.C.S. (Capacitor Surcharge)	12/04 से 09/05	रू.13009/–
4	10	Recovery of cost of Burnt Meter	जनवरी 2004	रू.3000/–
			योग रूपये :–	35,454/–

2. ऑडिट पार्टी द्वारा दिये गये हाफ मार्जिन की छाया प्रति एवं तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दिए गए हाफ मार्जिन का विवरण कार्यालय में उपलब्ध नही है।
3. उपरोक्त ऑडिट रिकवरी की छायाप्रति संयुक्त निदेशक (लेखा/अंकक्षेण) कार्या. सी.एम.डी. भोपाल के पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 19.07.2010 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई, उसके उपरांत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 30.04.2011 के माध्यम से उपभोक्ता को अवगत कराया गया है कि उसके संयोग पर वर्ष 2003–05 के पैरा क्रमांक 2,4,8, एवं 10 के अंतर्गत रू.35,454/–

की ऑडिट रिकवरी लंबित है, और उक्त राशि के जमा करने हेतु पत्र दिनांक 30.04.2011 मेसर्स दयाल इण्डस्ट्रीज को जारी किया गया। आपके सुलभ संदर्भ हेतु संयुक्त निदेशक (लेखा/अंकेक्षण) भोपाल के पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 19.07.2010 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

4 ऑडिट रिकवरी की मांग उपभोक्ता से प्रथम बार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 30. 04.2011 के माध्यम से की गई थी। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)

5. ऑडिट रिकवरी की मांग उपभोक्ता से प्रथम बार करने के बाद उपभोक्ता द्वारा ऑडिट रिकवरी के विरूद्ध माननीय उच्च, न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीश्न क्रमांक 3196/2011 एवं क्रमांक 4513/11 दर्ज कराई गई, जिसके कारण ऑडिट रिकवरी की मांग लगातार नही की जा सकी। पिटीशन की छाया प्रति संलग्न है।

6. तत्कालीन अधिकारियो द्वारा इस हाफ मार्जिन का ड्राप करने संबंधी अनुशंसाा नही की गई एवं हाफ मार्जिन के अध्ययन के पश्चात वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों द्वारा ऑडिट रिकवरी को सही बताया गया है।

7. ऑडिट रिकवरी के प्रकरण को वृत्त स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर गठित हाई पॉवर कमेटी के समक्ष नही रख गया है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**दिनांक10.05.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरणमे कथन किया गया कि प्रत्येक वर्ष 2003 –05 में जो ऑडिट रिकवरी निकाली गई है, वह बिल में दर्शाई गई है। हमारे द्वारा प्रत्येक माह विद्युत बिलों की राशि का भुगतान नियत समय में किया जाता रहा है

यह कि अनावेदक द्वारा दिनांक 30.04.2011 को पत्र क्रमांक कापयं/संसं/2011/548, दिनांक 30.04.2011 द्वारा राशि रूपये 35454/– की राशि ऑडिट रिकवरी के रूप में वर्ष 2003–05 के मध्य की है, को जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

यह कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19 के अनुसार ''किसी उपभोक्ता से देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली योग्य नही होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नही करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शायी न जाती रहों।''

उक्त राशि की वसूली हेतु हमें लगभग 6 वर्ष बाद नोटिस जारी किया गया है, जो कि उक्त कण्डिका के अनुसार अवैध है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि वर्ष 2003–05 के मध्य की ऑडिट रिकवरी के रूप में निकाली गई राशि रूपये 35454/– को निरस्त करने हेतु अनावेदक कम्पनी को निर्देश देने की कृपा करे।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री गोविन्द अरन, कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रकरण में कथन किया कि संयुक्त निदेशक (लेखा/अंकेक्षण) कार्यालय प्रबंधक संचालक (म.क्षे.) भोपाल के पत्र क्रमांक 1119, दिनांक 19.07.2010 जो कि माह जुलाई 2010 में प्राप्त हुआ था। संदर्भित

निरंतर.....

पत्र के आधार पर उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) ग्वालियर के पत्र क्रमांक 548–549 दिनांक 30.04.2011 द्वारा उपभोक्ता श्री दयाल इण्ड्रस्टीज, प्रोपा. श्री दयालदास सुखीजा, ग्राम मढ़ा बरई वितरण केन्द्र से राशि रूपये 35454/– जमा करने हेतु सूचित किया गया था। चूँकि वर्ष 2003–2005 के ऑडिट की रिकवरी हेतु पत्र माह जुलाई 2010 में प्राप्त हुआ था। अतः उपभोक्ता का यह कथन कि '' हमें लगभग 6 वर्ष बाद नोटिस जारी किया गया है।'' सत्य नही है। उच्च कार्यालय से पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त राशि की मांग समयावधि में ही की गई है, जो कि उचित है।

यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वितरण केन्द्र कार्यालय विगत 5–6 वर्षो में दो बार कार्यालय भवन अन्यत्र शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण कार्यायल का रिकार्ड भी शिफ्टिंग में अव्यवास्थित है। कार्यालय में कर्मचारियों की कमी होने के कारण उपलब्ध कर्मचारियों से ही कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त रिकार्ड व्यवस्थित करवाने के प्रयास किये जा रहे है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। रिकार्ड अव्यवस्थित हो जाने के कारण उक्त ऑडिट पैरा की कापी वितरण कार्यालय से प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।

उक्त प्रकरण में माननीय फोरम के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाये, जिससे कि अगली तिथि में प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सके। मीटर रीडिंग डायरी सहित प्रस्तुत करे।

प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक/मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीज प्रोप. श्री दयाल दास सुखीजा के औद्योगिक पावर संयोग क्रमांक 394508–90–16–39354 है। जिसका स्वीकृत भार 90 एच.पी. है। मध्य प्रदेश राज्य विद्यु मंडल के अंतरिक अंकेक्षण पार्टी के द्वारा वर्ष 2003–2005 की अवधि का ऑडिट दिनांक 26.09.2005 से 06.10.2005 तक (सं./सं.) संभाग ग्वालियर केवितरण केन्द्र बरई में भी किया गया था। मेसर्स दयाल इण्ड्रस्टीज पर पेरा क्रमांक 2,4,8 एवं 10 के अनुसार ऑडिट रिकवरी निकाली गई है। उसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	पैरा क्रमांक	विवरण	अवधि	ऑडिट द्वारा वसूली योग्य दर्शाई गई राशि
1	02	Less billing of meter hire charges	02/05 से 09/05	रू. 2716/–
2	04	Less billing of meter Stop/ Diffective period billing	07/05 से 09/05	रू.16,729/–
3	08	Less billing of L.T.C.S. (Capacitor Surcharge)	12/04 से 09/05	रू.13009/–
4	10	Recovery of cost of Burnt Meter	जनवरी 2004	रू.3000/–
			योग रूपये :–	35,454/–

उपरोक्त टेबल अनुसार ऑडिट की राशि रूपये 35454/– दिनांक 06.10.2005 को ही प्रथम वार वसूली योग्य हो गई थी।

अनावेदक द्वारा उपरोक्त पेरा अनुसार आवेदक को ऑडिट रिकवरी रूपये 35,454/– का विद्युत बिल की मांग पत्र क्रमांक 548–49/30.04.2011 के माध्यम से उपभोक्ता को अवगत कराया गया था जबकि आवेदक द्वारा उसे जारी वर्ष 2003 से 2005 तक सभी माहवार जारी विद्युत देयकों का नियमित एवं समय पर भुगतान किया गया है। जिससे आवेदक असहमत होकर मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19 के अनुसार किसी उपभोक्ता से देय राशि जब यह पहली बार जिस स्थिति से देय हुई है उससे दो वर्ष बाद वसूली योग्य नही होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेदन नही करेगा। जब तक की ऐसी राशि प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारो की बकाया राशि के रूप में लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती हो। उक्त राशि की वसूली हेतु 6 वर्ष बाद नोटिस जारी किया गया है जो कि उक्त कंडिका के अनुसार अवैध है अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि 2003–2005 मध्य की ऑडिट रिकवरी के रूप में निकाली गई राशि रूपये 35,454/– को निरस्त करने हेतु अनावेदक को निर्देशित करे।

अनावेदक का यह कहना कि संयुक्त निदेशक (लेखा/अंकेक्षण) कार्यालय प्रबंध संचालक (म.क्षे.) भोपाल के पत्र क्रमांक 1119, दिनांक 19.07.2010 जो कि माह जुलाई 2010 में प्राप्त हुआ था। संदर्भित पत्र के आधार पर उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग ग्वालियर के पत्र क्रमांक 548–549 दिनांक 30.04.2011 द्वारा उपभोक्ता श्री दयाल इण्ड्रस्टीज प्रोपा. श्री दयाल दास सुखीजा, ग्राम मढ़ा बरई वितरण केन्द्रसे राशि रूपये 35,4545/–जमा करने हेतु सूचित किया गया था। (ऑडिट दिनांक 26.09.2005 से 06.10.2005 तक किया गया था। चूँकि वर्ष 2003–2005 के ऑडिट रिकवरी हेतु पत्र माह जुलाई 2010 में प्राप्त हुआ था) अतः उपभोक्ता का यह कथन कि ''हमें लगभग 6 वर्ष बाद नोटिस जारी किया गया है।'' सत्य नही है। उच्च कार्यालय से पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त राशि की मांग समयावधि में ही की गई है, जो कि उचित है।

आवेदक द्वारा अनावेदक को पत्र क्रमांक 28.06.2011 के संदर्भ में एक याचिका माननीय उच्च न्यायलय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर दायर थी। प्रकरण में याचिका क्रमांक 4513/2011 जिसे उच्च न्यायलय में प्रस्तुत की गयी थी उसमें दिनांक 27.09.2017 को उच्च न्यायलय ने यह निर्णय पारित जो निम्नानुसार हैः–

Thus, the core question to involved in the case is the authority of respondents to initiate the recovery. Therefore, in the fact situation of the case and in the interest of justice, under the instant jurisdiction, the order date 28/06/2011 is hereby set aside and matter is remanded back before the respondent No. 1-Deputy General manager, who has passed the order dated 28-06-2011 earlier, with a direction to consider the case of the

petitioner afresh in light of provisions contained in clause 10.19 of the Electricity Supply code, 2004 and

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

section 42 of the Electricity Act, 2003 and if the authority finds the jurisdiction vested in it to entertain the case then the same shall be considered and decided by the said authority considering the provision contained in clause 10.19 of the Electricity Supply code 2004 and and if the matter is found to be the one which is to be referred to the appropriate forum as per section 42 of the Electricity Act, 2003, then matter may be referred to the said forum by the respondent No. 1 in accordance with law. Needless to say that in either condition, fate of the case be intimated to the petitoner as early as possible preferably within three months from the date of receipt of certifled copy of this order.

petition stands disposed of.

उच्च न्यायलय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में फोरम द्वारा प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना दी गई तत्समय लागू विद्युत अधिनियम 2004 की कंडिका 10.19 के प्रकाश में प्रकरण पर विचार किया गया।

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि ऑडिट मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की ऑडिट पार्टी–1 उज्जैन द्वारा दिनांक 26.09.2005 से 06.10.2005 तक कि अवधि मेंसं./सं. संभाग ग्वालियर केबरई वितरण केन्द्र काऑडिट किया गया था। जिसकी रिपोर्ट जूनियर इंजीनियर म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि बरई डिस्ट्रब्यूशन सेन्टर को (1) पत्र क्रमांक IAP/UJjan-09 दिनांक 03.10.2005 कोLess billing of meter hire charges,रूपये 2716/–, (2)पत्रक्रमांक IAP/UJjan-11 दिनांक 04.10.2005, Less billing of meter stop/Diffective period billing,रूपये 16729/–, (3) पत्र क्रमांक IAP/ UJjan-15 दिनांक 05. 10.2005,Less billing L.T.C.S. (Capacitor Surcharge)रूपये 13009/–, (4) पत्र क्रमांक IAP/ UJjan-20 दिनांक06.10.2005 को Recovery of cost of Burnt Meter रूपये 3000/–, के द्वारा ऑडिट/सेक्सन ऑफिसर म.प्र. राज्य विद्युत मंडल उज्जैन द्वारा जूनियर इंजीनियर बरई वितरण केन्द्र को दी गई थी जिसकी Recovery accepted compliance report to audit remark डालकर स्वीकार किया है।

अतः उपरोक्तानुसार ऑडिट रिपोर्ट जिसमें उपभोक्ता से उसके विद्युत संयोजन पर कम बिलिंग की गई राशि रूपये 35454/– वसूल करने हेतु उपरोक्त पत्रों द्वारा अक्टूबर 2005 में ही वसूली योग्य हो गई थी। चूकिं ऑडिट पार्टी द्वारा निकाली गई कम बिलिंग की आडिट रिपोर्ट माह अक्टूबर 2005 में ही अनावेदक को सौप दी गई थी जिसे अनावेदक द्वारा वसूली हेतु उपभोक्ता को किसी भी तरह की मांग नही की गई। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों से यह पुष्टि होती है कि उनके द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट पत्र लिखकर वर्ष 2009 में वरिष्ठ कार्यालय से मांगी जिसे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा माह जुलाई 2010 में पुनः भेजी गई अतः उनका यह कथन असत्य है कि वरिष्ठ कार्यालय से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पत्र क्रमांक 548 दिनांक 30.04.2011 के माध्यम से आवेदक को वसूली का पत्र जारी किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतःतत्समय लागू म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19, के अनुसार किसी उपभोक्ता से देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली योग्य नही होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नही करेगा; जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो।

उपभोक्ता से तत्समय लागू म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के अंदर अनावेदक द्वारा वसूल किया जाना था। जो कि अक्टूबर 2007 तक 2 वर्षअवधि में ही उपभोक्ता से उक्त राशि वसूली हेतु पत्र जारी करना था एवं उसके बाद लगातार विद्युत देयक में बकाया राशि दर्शाया जाना था। जब तक कि उसकी वसूली न हो गई हो। जो कि अनावेदक द्वारा नही किया गया।

अतः अनावेदक द्वारा आवेदक से उक्त आडिट रिकवरी राशि को वसूली हेतु आवेदक को पत्र क्रमांक 548 दिनांक 30.04.2011 के माध्यम से राशि रूपये 35454/– की वसूली हेतु पत्र जारी किया था जो तत्समय लागू म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.19 के अनुरूप के तहत समयवधि समाप्त हो जाने के कारण वसूली योग्य नही है।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18.07.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष